राजस्थान विधान सभा

षष्ठ बैठक, शनिवार, दिनांक-८ दिसम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में मध्यान्हपूर्व ११-२० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

श्री अध्यक्ष—Oath or affirmation.

(Nobody came forth.)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के प्रतिवेदन की, मेमोरेन्डम सहित, प्रस्तुति

Bills. Shri Mohan Lal Sukhadia.

(अनुपस्थित)

Shri Brij Sunder Sharma.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के प्रतिवेदन सन् १९५३-५४ को मेमोरेन्डम सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—Shri Brij Sunder Sharma.

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५६ (पुरः स्थापन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) अमेन्डमेन्ट बिल, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ?

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री मुख्य मन्त्री की ओर से) —मैं उक्त विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज बिल, १९५६ (पुरः स्थापन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज बिल, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं उक्त विधेयक को पुरःस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Damodar Lal Vyas.

राजस्थान एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा— अब तो विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक लिये जावेंगे। कल का एक्साइज़ अमेन्डमेन्ट बिल चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—Yes. Further discussion on the following motion that the Rasthan Excise (Second Amendment) Bill be taken into consideration.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, कल मैं राजस्थान एक्साइज़ (सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट) के बारे में चन्द बातें निवेदन कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह धारणा है कि आज के जमाने के अन्दर सन् १९५६ में सरकार शराबबंदी या इलीसिट डिस्टिलेशन के खिलाफ जो कदम उठाये वे ऐसे होने चाहिये कि दोनों तरफ बराबर हों। आज सरकार एक तरफ

[श्री मानसिंह महार]

तो इल्लीसिट डिस्टिलेशन करने वालों की सजा को सख्त करके जिनके पास इल्लीसिट डिस्टिलेशन की सामग्री मिले उनकी जमानत ले ली जाय इस प्रकार की बातें रख करके यह बात करना चाहती है कि इल्लीसिट डिस्टिलेशन को हमें रोकना चाहिए। दूसरी ओर सरकार अपने ही कदमों से उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन देती है। सरकार का पिछले बजट अधिवेशन में यह कदम रहा कि शराब केवल होटलों में बन्द कर दी जाय उससे मैं दावे के साथ कहता हूं कि इल्लीसिट डिस्टिलेशन को बड़ा भारी फायदा पहुंचा। जो लोग होटलों के अन्दर शराब पीते थे वे लोग वहां पर इल्लीसिट शराब नहीं पीते थे क्योंकि वहां पर इल्लीसिट शराब नहीं लाई जाती थी। वहां हर प्रकार के आदमी जाते हैं तो उनको सरकारी दूकानों की शराब होती थी वह मोहिया होती थी। इस बात को रख कर सरकार ने यह बात कर दी कि ये लोग होते हैं चुपके चुपके गांवों से शराब आती है उनको पीकर इल्लीसिट डिस्टिलेशन को प्रोत्साहन देते हैं। मैं तो इस बात का मानने वाला हूं अध्यक्ष महोदय, और इस बात को पिछले दस वर्षों से एडवोकेट कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर पूर्ण शराब बन्दी होनी चाहिए, लेकिन ये जो छुट पुट कदम उठाये जाते हैं वे गलत कदम हैं। इस प्रकार से कभी शराब बन्दी नहीं होती है। इस कानून के स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में लिखा है, इसका भी बड़ा दुःख है। इसके अन्दर पहली ओर सरकार का ध्यान गया है वह यह कि "It has a vital effect not only on the excise revenue of the State...." एक्साइज़ रेवेन्यू की ओर अभी भी आपका ध्यान जाता है। अभी भी आप यह नहीं भूलते कि यह एक खराब मद है जिसको आपको छूना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं यह तो ऐसा खराब पैसा है जैसे रियासतों के जमाने में यह समझा जाता था कि मन्दिरों की आमदनी राज्य कोष में नहीं लेंगे। आप आज शराब की आमदनी को अपने कोष का एक अंग मानते हैं और उसको बड़ा महत्व देते हैं यह बड़ी भारी भूल है। हमको तो इस पैसे को बड़ी घृणित दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप इसी तरह से चलते हैं तो यह एक गलत चीज है। मैं यह मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि शराब बन्दी होनी चाहिए और उसके लिए ५०) या १००) जुर्माना कर देते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा है कि इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोका जाय तो मैं सुझाव दूंगा कि किस प्रकार से इसको रोक सकते हैं। आप जो तरीका अपनाना चाहते हैं उससे जनता को लाभ नहीं होने वाला है, उससे तो जनता का नुकसान ही होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोकना चाहते हैं तो आप वे कदम उठाइये कि जो यू. पी. सरकार ने उठाये हैं। मैं मानता हूं कि आप इतना इन्तजाम नहीं कर सकते कि आप सारे राजस्थान में पूरा प्रोहिबिशन कर सकें। लेकिन यू. पी. सरकार ने, पिछली दफा जब मैं यू. पी. गया था तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी, यू. पी. सरकार ने यह महसूस किया था कि पूरे यू. पी. में करते हैं तो इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यह तरीका निकाला कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोहिबिशन एप्लाई किया जाय। आप भी ऐसी कार्यवाही करिये कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट या आपके सादड़ी में कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां इसको ले लीजिये, प्रोहिबिशन एप्लाई कीजिये, पूरी फोर्स लगाईये, वहां से इल्लीसिट डिस्टिलेशन को उखाड़िये, शराब बन्दी वहां रखिये। यह करिये। आज

[श्री मानसिंह महार]

बम्बई में यह कर दिया है कि किसी के मुंह में शराब की बदबू भी आती है तो उसका चालान हो जाता है। इसी प्रकार इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोक सकते हैं। आप यह होच पोच इधर उधर की बातें लाकर रखते हैं इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है। अगर लाभ होने वाला है तो आपके विभाग को लाभ होने वाला है। आप यह समझते हैं कि शराब की बिक्री की आमदनी बढ़ जावेगी। मैं यह कहूँगा कि शराब की दुकानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी जब आपकी शराब की दुकानों पर इल्लीसिट शराब बिकती है। आप सोचिये कि कैसे आमदनी बढ़ सकती है ? तो मेरा यह निवेदन था अध्यक्ष महोदय, कि इस कानून को सख्त करना है, जिसका इसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स से ही पता चलता है। इसको सख्त करना चाहते हैं तो जो मैंने बताये हैं वैसे कदम उठायेंगे तो इसको रोक सकते हैं। जयपुर के होटलों में शराब बन्दी की तो उसका क्या नतीजा निकला, क्या आज ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है या जयपुर में शराब की आमदनी कम हुई है ? यह तो आपको पता चल सकता है आंकड़ों से। होटलों में जहां अच्छी शराब मिलती थी या लोग विलायती शराब पीते थे जिनकी कीमतें ज्यादा थीं लेकिन वे तन्दुरुस्ती के लिए खराब नहीं थीं लेकिन अब होटलों में देशी ठर्रा पीने लोग आते हैं जो तन्दुरुस्ती को नुक्सान पहुंचाता है। तो आपके पहले कदम से तो यह नतीजा हुआ कि इल्लीसिट डिस्टीलेशन जो पहले होता था उससे दुगुना हुआ। मैंने कल भी चुनौती दी थी, अध्यक्ष महोदय, और आज भी देता हूं कि अगर मन्त्रीजी तैयार हों तो जयपुर शहर में जितनी भी बसें आती हैं चारों दरवाजों पर उन बसों के पेट्रोल के पीपों का चैकिंग किया जाय तो उनमें आधे से ज्यादा में इल्लिसिट डिस्टिल्ड शराब मिलेगी। उनको कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हरेक गाडी से १०, १५ रुपये माहवार एक्साइज़ के अफसरान के बन्धे हुए हैं और वह रुपया मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक्साइज़ कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि वह नीचे के सिपाही से लेकर, टॉप तक जाता है और उनका बाकायदा बंटवारा होता है, तनख्वाहों के हिसाब से होता है। (शेम-शेम) यह बात आज जयपुर शहर के अन्दर हमारी आंख के नीचे हो रही है। खुले आम शराब के इल्लीसिट डिस्टीलेशन को प्रोत्साहन मिल रहा है। मंत्रीजी ने जो बिल रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको सख्त करना चाहते हैं। सख्त भी किस तरह से, अध्यक्ष महोदय, कि जिसके यहाँ भी शराब की भट्टी मिल जाय या शराब मिल जाय उसकी जमानत नहीं ली जाय। मैं कहता हूँ कि आज के जमाने के अन्दर जमानत वह चीज है कि अदालत के अन्दर कोई कत्ल करके आता है तो उसकी भी जमानत हो जाती है, लेकिन यह किस लिए किया जा रहा है ? सजा कम होने से आज के दिन क्या हो रहा है कि इस सजा की कमी के कारण जो प्रत्येक भट्टी से एक्साइज़ विभाग के माहवारी पैसे बन्धे हुए हैं वे बहुत कम हैं। वे यह कहते हैं कि पांच रुपये महीना दे सकते हैं। यदि इससे अधिक लोगे तो चालान कर दीजिये वहां २५ रु० जुर्माना देकर आजायेंगे। तो अब एक्साइज़ विभाग वाले यह सोचते हैं कि इससे बहुत कम आमदनी होती है अपने को। ५०) रु० तो कम से कम एक भट्टी से लेना चाहिये ताकि जो ऊपर तक रकम जाय वह एक, दो लाख की हो। उस रकम को बढ़ाने के लिए इसको सख्त बनाने की कोशिश की गई है।

Page No.5

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा था वह यह है कि एक्साइज़ विभाग वाले किस तरह शराब वालों को पकड़ते हैं। इसका सदन के सामने एक नमूना प्रस्तुत करता हूं ताकि सदस्यगण देखें कि इस प्रकार की सख्त सजा यानी जमानत नहीं लेना वाजिब होगा या नावाजिब होगा। एक्साइज़ वाले क्या करते हैं कि उनके कुछ हर तहसील के अन्दर पिट्ठू आदमी हैं जो कि शराब निकालते हैं, वे उनको माहवारी पैसा देते हैं। उनके यहां से शादी विवाह अगर होता है तो शराब जाती है और कोई काम होता है तो शराब जाती हैं। वे लोग वहां से शराब लेते हैं। एक्साइज़ वाले गांव में जाते हैं तो ट्रक के अन्दर १०, २० बोतलें ले जाते हैं। जब पैसा ज्यादा मांगा जाता है और पैसा नहीं होता है तो एक्साइज़ के लोग घरों की तलाशी लेने जाते हैं तो बोतलें अपनी जेबों में रख लेते हैं। जेबों में रख कर घरों के अन्दर ले जाकर रखते हैं और फिर कहते हैं कि यह शराब तुम्हारे घर में से निकली है। अगर मन्त्रीजी इस बात से इन्कार करते हैं तो मैं एक मिसाल पेश करता हूँ जयपुर एक्साइज़ की। मजिस्ट्रेट की अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, जिसका मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि गोपी मीणा नाम के व्यक्ति का चालान किया गया है और उसके अन्दर गांवों के बाहर और दरवाजे के बाहर एक्साइज़ के सिपाही ने अपनी जेब के अन्दर शराब की बोतलें रखीं और उसके घर में गये और जाकर वे रखी गईं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—सबजुडिस मुकदमा है, तो फिर आप क्यों जिक्र कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार—मुकदमे का नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—उसी का तो कह रहे हैं। जब फेक्ट्स सबजुडिस हैं तो उसका रेफ्रेन्स नहीं होना चाहिये। यह प्रिविलेज है कि विधान सभा में कहे गये पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता।

श्री मानसिंह महार—उसके बारे में कुछ निवेदन नहीं करता हूं।

उसी प्रकार से एक्साइज़ वालों ने चार आदमियों के घरों में वह शराब रखी। चार आदमियों में से तीन ने एक्साइज़ वालों से यह कहा कि हमारा केस कम्पाउन्ड कर दिया जाय। तो उनमें से तीनों से ११) –११) रु० एक्साइज़ विभाग ने सरकार के अन्दर जमा करा लिए और केसेज़ कम्पाउन्ड कर लिए, और उन्होंने तीनों व्यक्तियों से ५१) – ५१) रु० प्राइवेटली ले लिए और प्राइवेटली लेकर चालान नहीं किया और कह दिया कि केसेज़ बहुत कमजोर हैं इसलिए कम्पाउन्ड कर लिया। दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी ने ५१) रु० देने से इन्कार किया तो उसका चालान कर दिया। यह आज हमारे सामने हालत है। मैं यह चाहता हूं कि शराबबन्दी हो

[श्री मानसिंह महार]

यह बहुत सख्ती से हो। लेकिन शराबबन्दी के लिए मशीनरी चाहिये, हमको इमानदार आदमी चाहिये। हम अगर इस प्रकार के एमेंडमेंट लाकर अगर इसको इतना सख्त बना देते हैं, इसको नोन बेलेबल रखते हैं तो जनता को राहत नहीं पहुंचने वाली है। अगर आपका रेवेन्यू की तरफ ध्यान हो तो मैं यह कहूंगा कि आपने जो फाइन दो सौ रुपया रखा है उसका ५००)रु० कर दिया जाय। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, जिस आमदनी के लिए दिन रात आप चिन्तित रहते हैं, लेकिन इसको नोन बेलेबल मत कीजिये, नोन बेलेबल करने का मतलब यह होगा कि निरपराध आदमी जेल के सीकचों में डाल दिये जायेंगे। निरपराध ही क्यों होंगे वे व्यक्ति जो आपको रिश्वत देने से इन्कार करेंगे, आप उन लोगों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करेंगे और अगर वे नहीं देंगे तो आप उनको जेल के सींकचों में डाल देंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इस कानून को पास करते हुये सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता था पहला मौका होगा, ड्राफ्ट आ रहा है और मन्त्री लोग आयेंगे तो उनसे अपील करूंगा। मैं आज किससे अपील करूंगा जिस महकमे में एड़ी से लेकर चोटी तक रिश्वतखोरी का बोलबाला है। कैसे रिश्वतखोरी को रोका जाय ?. वहां पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि रिश्वत नहीं लेता हो। इस रिश्वत की आज लाखों रुपये की दलाली होती है। जयपुर के बाजार में रोज इल्लिसिट वाइन बिकती है। एक पर्टीक्यूलर आदमी को इसका ठेका दिया गया। सारे जयपुर शहर में खुले आम देशी शराब अपनी दुकान में बोतलों में मिलाकर बेचता है। उसकी सुनवाई नहीं होती है। उससे अधिक पैसा देने वाले मौजूद थे लेकिन २ लाख रुपये का सौदा तय हो गया। रिश्वतखोरी यहां तक बढ़ रही है...

श्री अध्यक्ष—आप रिश्वतखोरी पर बोल रहे हैं या इल्लीसिट वाइन पर ?

श्री अर्जुनदास—Mr. Speaker, Sir, he could not express what he meant by, 'from top to bottom.'

श्री वेदपाल त्यागी—Does he include Minister in-Charge also ?

श्री जगतसिंह झाला— अध्यक्ष महोदय, इस एक्साइज़ एमेन्डमेंट बिल पर कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने इसी विधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहां राजस्थान में शराबबन्दी कर दी जाय, उस दिन मंत्री महोदय ने फरमाया था कि हमको ३,४०,००,०००) रु० की आमदनी होती है। आप यह फर्माते हैं कि एक्साइज़ से आमदनी बढ़ाने के लिये शराब को चालू रखना चाहते हैं तो इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होनी चाहिये। गांधीजी यह फरमाते थे कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी शराब बन्दी करेगी। बड़े दुख का विषय है कि शराबबन्दी नहीं करके नाजायज़ शराब के लिए कानून बना रहे हैं, और इस वक्त बना रहे हैं जब कि राजस्थान विधान सभा का सेशन समाप्त होने जा रहा है। सारे कानून विरोधी सदस्यों को दबाने के लिये प्रयत्न हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि नाजायज़ शराब बनाने के लिये कानून नहीं बने, लेकिन आप जो कर रहे हैं या आपके डिपार्टमेंट में जो होता है उसके लिए निवेदन करना पड़ रहा है, बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है ....

Page No.7

श्री अध्यक्ष—डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का क्या मतलब है ? एमेंडमेंट बिल से इसकी क्या रिलेवेन्सी है ?

श्री जगतसिंह झाला—एक बहुत बड़ी घटना है ।

श्री अध्यक्ष—We ars disscussing the principles of the Bill and not discussing the principles of the Department. The Hon'ble Member should say that these are the things which go to support the view that it should not be passed.

श्री जगतसिंह झाला—अध्यक्ष महोदय, आपका फरमाना शिरोधार्य है। मैं एक घटना के लिये निवेदन कर रहा हूं कि एक एक्साइज़ इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर ही नहीं वह मन्त्री महोदय के निकट के सम्बन्धी हैं, उन्होंने एक जाट से रिश्वत में ५०) रुपये लिये ....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! यह ठीक है कि माननीय सदस्य बोलें, उनको बोलने का मौका दिया जाय, लेकिन जहां हम बिल के सिद्धान्तों पर विचार कर रहे हैं वहां इस तरह की बातों का आना मैं असंगत समझता हूं। वे बिल्कुल असंगत हैं। आप एक तरफ यह मानते हैं कि जो अवैध मदिरा है उस पर नियन्त्रण किया जाय सिद्धान्ततः जब आप इस बात को मानते हैं तो फिर क्या कारण देते हैं इस बात का कि उस बिल को स्वीकार नहीं किया जाय। अगर विभाग में भ्रष्टाचार है तो वह बिल्कुल दूसरा विषय है। इससे इस बिल के सिद्धान्त का कोई सीधा संबंध नहीं है और बिल के सिद्धान्तों पर विचार करते समय यदि कोई विभागीय भ्रष्टाचार है या कोई कुनबा परस्ती है या और कोई आरोप आपके हैं, और सिद्धान्तों पर विचार करते समय यदि उन चीजों का समावेश आप बहस में करेंगे, तो मुझे भय है, मैं इजाजत नहीं दे सकता। वे बातें असंगत हैं सिद्धान्तों से। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस पर सिद्धान्त की चर्चा करते समय सैद्धान्तिक बातें ही आवें। यदि आप सैद्धान्तिक रूप से अपने आपको सहमत समझते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं रहता विरोध का।

श्री जगतसिंह झाला—मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस तरह की बातें हुईं, जिनका मिनिस्टर साहब से सम्बन्ध था....

श्री अध्यक्ष—मिनिस्टर्स से संबंधित एक हजार एक बातें होती हैं किन्तु उनके लिए जब समय आये तब कहिये, राज्यपाल के भाषण पर कहिये, मैं आपका मुंह उस समय बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन अब इस बिल के सिद्धान्तों पर विचार हो रहा है और सैद्धान्तिक रूप से आप इसे स्वीकार करते हैं तो अन्यथा विचार सम्मलित न करें।

Page No.8

श्री जगतसिंह झाला—आपके हुक्म की तामील होगी, अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल के भाषण के समय भी इन बातों का जिक्र किया था और चैलेन्ज दिया था पर उस समय मंत्री जी मौजूद नहीं थे...

श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा— Is he challenging your ruling, Mr. Speaker ?

श्री अध्यक्ष—I have accepted so many challenges to my rulings.

श्री जगतसिंह झाला—जब इस तरह का भ्रष्टाचार एक्साइज़ इन्सपेक्टर करते हैं तो इसका दुःख है...

श्री अध्यक्ष—मैं आपके दुःख से बहुत सहानुभूति रखता हूं, इसमें कोई शक नहीं।

श्री जगतसिंह झाला—इसके ऊपर ही मैं अब निवेदन करता हूँ। इसमें जमानत की भी गुंजाइश नहीं रखी है। इसमें ऐसे छुट पुट केसेज़ होते हैं जिनमें जमानत होना जरूरी है। यदि किसी के साथ में विरोध है तो उस पर आक्षेप लगाने के लिए भी उसके खिलाफ कार्यवाही करदी जाती है। यदि आज्ञा हो तो मैं इस बारे में कुछ निवेदन करूं। हमारे उदयपुर डिवीजन में पोलिटिकल साधनों के लिये भी कई गिरफ्तारियां की जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि एक पंचायत के सरपंच थे पाटोदा गांव के। उनको सूचना दिये बिना ही इन्सपेक्टर ने उनके यहां तलाशी ली और बिना सूचना दिये ही वह उनके जनानखाने में प्रवेश करता है। इस तरह की ये सारी घटनाएं राजनैतिक मामले में होती हैं क्योंकि विरोधी सदस्यों के यहां जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम यही मानते हैं कि सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये चीजें लाकर अपने विरोधियों के साथ ज्यादती करना चाहती है।

श्री अमृतलाल यादव—इसके विपरीत भी कोई बात हो सकती है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य बिल के उद्देश्यों तक ही सीमित रहें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही कह दिया है, क्या करूं? With the close of the Assembly Session all bonds of discrimination have loosened so much that I don't know where we are taking the standard of this House by inserting all sorts of irrelevant and political matters in the Debate. Political matters, of course, every Member has a right to insert but then all irrelevant matters which go to the extent of lowering the standard of the Debate are being introduced during the discussion on the Governor's Address and on several other occasions. I have observed that my business is only to observe and I think the ears of the Treasury Benches should also be ripe for hearing all these.

श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा— My request is that the hon'ble Speaker should not feel so helpless.

श्री अध्यक्ष—I am never helpless and always helpless because when the hon'ble members want to say something irrelevant I can only warn them, and as I have already obsrved, it is for the Treasury Benches and for the hon'ble members of the House either to hear all that or if they don't want to hear him, they can hoot him down.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—मेरा यह निवेदन है कि अंग्रेजी शायद उनके समझ में नहीं आई हो तो हिन्दी में फरमा दें।

श्री जगतसिंह झाला—मेरे सब समझ में आ गया है। आपको यदि दुःख होता है तो मैं अर्ज नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह अर्ज करता हूँ कि हमारे यहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। केवल राजनैतिक कारणों से ऐसी घटनाएं होती हैं इसलिये हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहां शैशव काल है प्रजातन्त्र का इसलिए यदि आप हमको दबाने के लिए ऐसी कार्यवाही करेंगे तो मैं अदब के साथ कहूंगा कि हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्रीजी से मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। लेकिन हम अपोजिशन में इसलिये बैठे हैं कि सही बातें प्रकाश में लावें। वह इन्सपेक्टर मंत्रीजी का सम्बन्धी होता है। वह ५० रु० के नोट लेते हुए पकड़ा जाता है जिन पर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के दस्तखत हैं। वह रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है फिर भी उसके खिलाफ डिपार्टमेन्टल कार्यवाही करने के बहाने से उसको रीइन्स्टेट किया जाता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इस तरह के कार्यों में इन्सपेक्टर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाय और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाय तो फिर उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? मैं क्षमा चाहता हूं, यदि मंत्रीजी को मेरी बातों से दुःख हुआ हो तो क्षमा करें। मेरा उनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है।

रावत श्री शम्भुसिंह—अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष—सिद्धान्त पर बात करेंगे क्या?

रावत श्री शम्भुसिंह—बिल्कुल सिद्धान्त पर।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इसके सिद्धान्त से सहमत हैं?

रावत श्री शम्भूसिंह—जी हां।

श्री अर्जन दास—Sir, that question is different from the question under discussion today. The question put by your honour as to whether you support the continuance of the illicit distillation of liquor or not......

Page No.10

श्री अध्यक्ष—Not that. Some times the hon'ble members speak in such a tone that at the very outset a member supports the Bill in principle but he insefts so many things after that, with the result that I fail to judge as to what he is speaking. Therefore, when the member wants to speak I enquire and as I have just enquired whether the member wants to speak by way of supporting this Bill on principles or by way of opposing it.

श्री अर्जुनदास—They are in agreement with the principle that the illicit distillation of liquor should not be allowed but they are not in agreement with the process by which the Government wants to put it down. That is the difference, Sir.

श्री अध्यक्ष — Then another thing comes into play. When they agree in principle, they cannot say all those things. They can introduce any other process or any other procedural matter by way of amendments. The things of procedure cannot be discussed on principle. Any way I don't want to discuse that controversial matter but when any ruling is sought I will opine on that. But once having agreed with the principles the details of a particular clause can be decided later when we proceed to consider the Bill clause by clause.

श्री मानसिंह महार—I have moved a motion that the Bill be cirtulated for eliciting public opinion.

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member has concluded and another member has already supported. Now Shri Shambhu Singh will have his say.

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल के सिद्धान्तों के ऊपर अपने आपको कनफाइन रखता हुआ मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह बिल राजस्थान एक्साइज़ सेकन्ड अमेंडमेंट बिल है और इसका उद्देश्य जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में दर्ज किया है, इल्लिसिट डिस्टीलेशन ज्यादा बड़ा है उसको रोकना और टोटल प्रोहिबिशन की तरफ कदम अग्रसर रखना है। यह उद्देश्य में प्रावधान किया गया है। अब हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि क्या इस बिल में कुछ प्रोवाइड करके जिसको हम रेमेडी मानना चाहते हैं उसके द्वारा जिन सिद्धान्तों को हम एचीव करना चाहते हैं या जिन लक्ष्यों को एचीव करना चाहते हैं उन लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं या नहीं, यह देखना आवश्यक है। इसमें लक्ष्य माना है इल्लिसिट डिस्टिलेशन को बन्द करना या कम करना और टोटल प्रोहिबिशन की तरफ कदम और अग्रसर करना, इसमें मेरी राय में जो कुछ प्रावधान किया गया है उससे हम दोनों लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होने या लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

[रावत श्री शम्भुसिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमें इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोकने के वास्ते कदम उठाना है तो पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इल्लीसिट डिस्टीलेशन हो क्यों रहा है ? जब तक किसी बीमारी का निदान करके सही इलाज नहीं करेंगे और उस बीमारी के कारण का इलाज न करके उसके लक्षण का इलाज करते जायेंगे तो बीमारी को आप दूर नहीं कर सकते। यही बात इस कानून के द्वारा किये जाने वाले इलाज के सम्बन्ध में घटती है। इस इल्लीसिट डिस्टीलेशन को बन्द करने के वास्ते कानुन को कड़ा बनाने की योजना है, मैं समझता हूं कि कानून के द्वारा इल्लीसिट डिस्टीलेशन को बन्द करने को जब भी कोशिश की गई तो उसमें क्या सफलता मिली ? यह हम सबके सामने है। और इस कानुन को अधिक कड़ा बनाने की कोशिश करके जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह भी हमारे सामने आजायगा। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस इल्लीसिट डिस्टीलेशन की बीमारी के ऊपर गौर करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि इसका कारण कुछ और है। इसका कारण यह है कि जब तक एक्साइज़ डिपार्टमेंट की तरफ से शराब के भाव इस प्रकार निर्धारित नहीं किये गये थे और सरकार ने एक्साइज् डिपार्टमेंट के द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने का एक लक्ष्य नहीं बनाया था, तब तक यह शराब इतनी मंहगी नहीं थी और उस वक्त शराब गरीब आदमी भी कम कीमत में खरीद सकता था। परन्तु जब से शराब बन्द करने के वास्ते शराब के दाम मंहगे करने पड़े, जब कि वास्तव में शराब को मंहगा करके पैसा बटोरने की बात मानी जा रही है, तब से जो शराब पहले कम कीमत पर यहां बिकती थी, अब वही शराब यहां पर अधिक कीमत पर मिलने लगी है और उससे गरीब आदमियों को मुश्किल हो गई है क्योंकि वे इतनी कीमत पर, अपनी कम कमाई में से, शराब खरीद नहीं सकते हैं। तो नाजायज शराब प्राप्त करने की कोशिश की और नाजायज तरीके से शराब प्राप्त करने का, इल्लीसिट डिस्टीलेशन का एक तरीका प्रगट हुआ। इस इल्लीसिट डिस्टीलेशन के कारण को जन्म देने का उत्तरदायित्व एक मात्र हमारी सरकार के ऊपर है कि जिसने कहने के वास्ते, शराब को कम करने के वास्ते यह दावा दिया है, परन्तु यह बात होती नहीं है बल्कि गरीब आदमियों की जेब काट कर अपने खजाने को ज्यादा भरने के वास्ते शराब इतनी मंहगी करना चाहती है। मैं समझता हूं, कि यदि शराब, जो कि जायज तरीके से बिकती है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के द्वारा इतनी सस्ती कर दी जावे कि जिससे गरीब आदमी को इल्लिसिट डिस्टीलेशन के द्वारा जो शराब प्राप्त होती है उससे भी सस्ती मिलने लग जावे तो फिर इस बात की उनको आवश्यकता महसूस नहीं होगी कि वह कम पैसे में मिलने वाली चीज को छोड़ कर ज्यादा मंहगी चीज को प्राप्त करे। इस प्रकार जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन पैदा हुआ, वह स्वयं बन्द हो जायगा, परन्तु मैं समझता हूं कि सरकार शायद ऐसा करना मुनासिब नहीं समझेगी और मेरी इस दलील की यह कह कर हंसी उड़ायेंगे कि आप शराब को प्रश्रय देना चाहते हैं, जब कि हम शराब को इतना मंहगा बना कर इसका उपयोग बन्द करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि शराबखोरी बुरी चीज है और कोई भी व्यक्ति शराबखोरी को बढ़ावा देने की बात के लिए तैयार नहीं हो सकता। हर एक शराब खोरी

[रावत श्री शम्भुसिंह]

को बन्द करने के हक में है परन्तु शराबखोरी को बंद करने का यह तरीका नहीं है, हमारा जो टोटल प्रोहिबिशन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है कि हम शराब को अधिक मंहगा बना कर अथवा उसको कानून के द्वारा कड़ाई करके उसको बंद करें। सरकार ने इल्लिसिट डिस्टीलेशन को बंद करने के वास्ते पूरी कोशिश की लेकिन उसमें सरकार नाकामयाब रही है और अगर अब सरकार कानून के द्वारा टोटल प्रोहीबिशन करना चाहती है, तो मैं समझता हूं, सरकार उसमें असफल रहेगी। वास्तव में टोटल प्रोहीबिशन को कामयाब करने का उपाय दूसरा है, उसके लिये रेमेडीज़ दूसरी हैं। लेकिन, मैं समझता हूं कि सरकार फिर भी अपने उस कानून को सख्त करने के ऊपर दृढ़ है...

श्री अमृतलाल यादव—दूसरी रेमेड़ीज क्या हैं, वे बतायेंगे ?

श्री शंभुसिंह—मैं उस पर शनैः शनैः आ रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बात निवेदन कर रहा हूं।

अब जो टोटल प्रोहीबिशन का सवाल है, उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि जो मनुष्य है, वह अपने मन के ऊपर काबू पाने वाला जीव नहीं है। यदि यह मनुष्य अपने मन के ऊपर, या अपने विचारों के ऊपर पूरा काबू पाले तो वह इन्सान की जगह देवता बन जावे। इन्सान में जो कमी होती है, इंसान में जो कमजोरियां होती हैं, उनको दबाने के वास्ते कानून वास्तविक साधन नहीं है। मगर इंसान में जो कमी होती है, जो बुरी बात होती है, बुरी प्रवृति होती है, मैं समझता हूं उसको दूर करने के वास्ते दूसरे साधन हैं...

श्री अमृतलाल यादव—वे दूसरे साधन क्या हैं, कृपया बताइये ?

श्री शंभुसिंह—मैं निवेदन करूं...

श्री अध्यक्ष—एक तो उन्होंने आत्म संयम बतलाया।

श्री शम्भुसिंह—आपका उद्देश्य क्या है, मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—उनका उद्देश्य तो यह बिल पास कराने का है।

(हंसी)

श्री शंभुसिंह—अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि जो चीज बुरी है वह केवल कानून के द्वारा नहीं छूट सकती है। मैं निवेदन करूं कि जिनके द्वारा प्रेरित हो कर मनुष्य बुरे कामों की तरफ झुकने से दूर रहता है उसके लिए मैं उदाहरण दूं कि जैसे जैन समाज है। जैन समाज में शराब पीना बिल्कुल मना है, वे शराब बिल्कुल नहीं पीते। अब आप ख्याल कीजिये कि उस समाज में अगर इस प्रकार का धर्म, प्रतिबन्ध या बन्धन नहीं होता तो क्या दूसरे समाजों की तरह, जैसे नीची जातियों में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उसी जाति के आदमी शराब पीते हैं, परन्तु जिन जातियों में धर्म के लिहाज से अथवा अपने समाज के लिहाज से यह बुरी बात मानी जाती है, वे अपने आप उससे बच जाते हैं। तो क्यों नहीं हम हमारी शिक्षा के द्वारा, हमारे उपदेशों के द्वारा जनमत को इसके वास्ते तैयार करें और जनता में इस प्रकार की जागृति पैदा करें कि वह अपने आप इसको बुरी चीज समझने लगें। परन्तु यह कहां से हो? धार्मिक शिक्षा के अन्दर हमारी सरकार इसको फैलाने के लिए मदद नहीं देती और नैतिक शिक्षा के वास्ते इस बात की बहुत जरूरत है कि धार्मिक शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाय ताकि उनकी रुचि धर्म की ओर हो। परन्तु हम देखते हैं कि सेकुलरवाद के इस नारे के साथ यह बात कही जाती है कि हम स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार जब तक हम धार्मिक शिक्षा के द्वारा अथवा उपदेशों के द्वारा अथवा हमारे धर्माचार्यों से मिलने वाले उपदेशों के द्वारा जनता को इस बात के लिए तैयार नहीं कर लें कि वास्तव में शराब पीना बुरी चीज है, इससे तन्दुरुस्ती पर बुरा असर पड़ता है, इससे पैसा बर्बाद होता है, नैतिकता और चरित्र की हानि होती है। आज यह जरूरी है कि इस चीज का ज्ञान हो कि नैतिकता क्या चीज है और चरित्र क्या चीज है? हम सेकुलरवाद के आश्रय को छोड़कर नैतिकता और चरित्र के महत्व को समझें। यह तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सेक्यूलरिजम् से छूटकर धार्मिक प्रवृत्ति कायम नहीं कर लेंगे, जब तक हम कानून के द्वारा इन बुरी बातों को, इन बुरी प्रवृत्तियों को, जो कि मनुष्य की कमजोरी हैं, उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस वास्ते मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि टोटल इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकना सरकार का मकसद है तो सरकार को चाहिये कि इसके वास्ते धार्मिक शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा अथवा चरित्र के बल के द्वारा, नैतिकता को ऊंचा करके इसको कम करने का उपाय करना चाहिये।

अब मैं सरकार को इसकी रेमेडीज़ बता देता हूं कि सरकार, जो नाजायज तरीके से शराब निकलती है, उसकी कीमत से दूसरी शराब की जो कि जायज तरीके से सरकार की ओर से तैयार कराई जाती है उसकी कीमत को कम कर दे, नाजायज तरीके से जो शराब निकलती है उससे सरकार इस शराब को सस्ता कर दे, तो नाजायज तरीके से जो शराब निकलती है वह अपने आप बन्द हो जायगी। परन्तु जब तक सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और मैं समझता हूँ कि सरकार का लक्ष्य प्रोहिबिशन और नाजायज शराब को रोकना नहीं है बल्कि इसकी अभी तक यही मंशा है कि शराब से हमें आमदनी होती रहे। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में भी यह है कि यह हमारी आमदनी का जरिया है। जब तक सरकार इसे आमदनी का जरिया मानती रहेगी

[रावत श्री शंभुसिंह]

तब तक यह बन्द नहीं हो सकती। केवल सरकार को आमदनी की ओर ही नहीं देखना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, इसको भी देखना है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस कानून को बना कर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहती है, वह इस कानून से पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए यह एक बेकार कानून होगा और इसको इस रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह—I hope, Sir, the antagonists and the protagonists of the prohibition will excuse me if I go on a bit different line. Sir, the declared policy of my party is prohibition. No doubt, Sir, that this is the ultimate object, some hon'ble members have spoken for prohibition and its immediate implementation. I will tackle this problem firstly from resources point of view.

श्री अध्यक्ष—The main problem is of illicit liquors and not of total prohibition.

श्री श्री भानसिंह—But the arguments given in statements of objects and Reasons are that illicit liquor has had substantial effect not only on the excise revenue of the State but also on the state of general crime and the health of persons. Therefore, Sir, it has to be dealt with from all points of view.

श्री अध्यक्ष—Total prohibition is a very remote object.

श्री श्रीभानसिंह—Total prohibition is the ultimate policy of the State.

श्री अध्यक्ष—If you introduce total prohibition then those who have spoken for it will again like to have their say.

श्री श्रीभानसिंह—"This illicit liquor not only has a vital effect on the revenues of the State but its existence also retards the ultimate goal of total prohibition". were the arguments. Therefore total prohibition is the ultimate result of all these measures in a welfare State or a State whose aim is socialist society.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि इसमें खाली स्टेट रेवेन्यू की बात नहीं है, इसमें लिखा है :

[श्री अमृतलाल यादव]

"It has a vital effect not only on the excise revenue of the State but also on the state of general crime and the health of persons addicted to drinking." तो इस तरह खाली रेवेन्यू ' की बात इसमें नहीं है, बल्कि रियासत की आम जनता के स्वास्थ्य की बात है।

प्रश्न यह है कि इल्लिसिट डिस्टिलिशन को चैक करना है या नहीं करना है ? यदि चैक करना है तो इसको रोकने के लिये बन्धन और सख्त करना है। अगर आप नहीं चाहते कि इसे चैक किया जाय तो इस पर आप बोलिये और अगर चाहते हैं कि चैक किया जाय और चैक करने के लिए और सख्ती की जाय, तो फिर बोलने की बात नहीं है। तो इस पर बोलते समय इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर बोलना चाहिये।

श्री भानसिंह—Sir, I am not for illicit distillation but we will have to review as to what are the reasons that lead the people to distill illicit liquor. That is on account of our gradual introduction of the prohibition policy with the result that the amount that should have come to the Treasury through excise duty has not come. Therefore, sir, those advocates who advocate total prohibition have come to realize the problem of resources. We will have to find resources to finance the Second Plan, the development schemes going on. If we introduce total prohibition in the tate, then, Sir, there will be the problem of increased taxation, there will be financial stringency. But a welfare State should not have revenues from the weaknesses of the people. This is the problem. There is also a difference of opinion as to whether drinking is a weakness of man. We are trying to find legislation which will effect probably the very meagre percentage of our population. The aims and objects of the legislation should be that it should be effective on the majority of the people. We are legislating against the drunkards and the percentage of the population of the drunkards is just one percent and the amount of expenses and time taken for this legislation to check the drunkards is enormous. While drinking is good, drunkeness is bad. This is the view we have to keep in mind while making this legislation.

I now tackle this problem from health point of view. Obviously, Sir, illicit liquor is going to have an adverse effect on the health of a man if he is a drunkard. If I am not mistaken, in our Vedas it is described as 'somras'. Its quantity taken in little doses has certainly very singular and very good effect on the mental and physical development of a man. I am aware, that party must be knowing better. I am aware that drinking is popular in those areas where industrial development is higher and where the ratio of working population to the total

[श्री श्रीमानसिंह]

population is more. Therefore, Sir, those workers who have low income and use illicit liquors or liquors of low quality their efficiency is reduced. Their production capacity is reduced. There it is of interest that prohibition or total prohibition must be introduced. But, Sir, we must go to the psychological side of taking drinks and see as to why do people take drink ? Why do they want at a certain time or at a certain period of the day to remain in an Ecastatic mood. In our country especially the people of lower strata or the common man do not have enough opportunity for recreation. If we provide them with other means of recreation if we provide them with opportunities for physical and mental development, then certainly, sir, I do'nt expect them to indulge in this very extravagant hobby. Therefore, sir, in this context a problem of corruption has also been introduced. It is because the problem of corruption is over the problem of prohibition and illicit liquor, it has also to be dealt with from two points of view. Firstly, have we got a requisite administrative machinery to check illicit liquor ? If the requisite administrative machinery is not there obviously there is going to be illicit distillation and corruption. The problem of corruption is certainly a psychological and a moral problem. But that is not under discussion here. To check the problem of illict liquor is here. Only when the State feels that it has got the requisite number of people to check illicit distillation it will succeed, otherwise not. Therefore, sir, I am neither a supporter nor opposed to the policy of prohibition but, Sir, this problem of prohibition has to be seen from all these points of view viz. the administrative side, the resources side and whether we have provided enough opportunities for recreation to the people of lower strata for their physical and mental development. We have to see whether we want to prohibit drinking of something or we want to prevent drunkenness.

श्री अमृतलाल यादव—I don't know what provisions and what facilities the hon'ble member has in his mind to replace this ?

श्री श्रीमानसिंह—I will come to that point. Similarly, Sir, I will have to explain how in the West the Imperial Powers introduced this whisky. The House and the hon'ble members will excuse me for this. The drink as we know Gin was produced by Britain in order to intoxicate and enslave the labourers of Africa. That is Whisky also and those people themselves in the foreign countries donot consume all these strong liquors viz. Whisky and Gin, very meagre. Those people consume such healthy things as gine but, sir, unfortunately here in our State we want to introduce prohibition but, sir, there must be certain healthy things which will divert

Page No.17

[श्री श्रीमानसिंह]

them and which will at the same time be better for the health like vine in the west. We can give them vine, grape-vine etc. There are so many liquors which may be provided here. There is nothing to establish or have a market for Whiskeys in the West. They are meant only to be sold in our Indian Mankets in the East so that in their intoxication we may lose all our mental and physical balance. It is essential that for everything prohibited there must be a substitute in the industrially progressive society. After all drinking of, wine may be bad but there are various other things which also have a bad effect on the mental and physical development of a man. The same is the effect of cheqing tobacco.

When our policy is prohibition it is not only this drink or the liquor that affect the man but we have to prohibit all the intoxicants if we want the people to become sane. We have to provide certain substitutes like vine and other beverages. Therefore, sir, my request is that in order to supress illicit liquors we must provide certain facilities to the poorer people and those people who are rich; o whose who indulge in this must have certain substitutes and the Government must make arrangements for that. Those people who advocate total prohibition, of course it may be implemented but we must prepare ourselves to bear heavier burden of taxation so that we may carry on our development programmes.

श्री अर्जुनदास—The question before the House is rather limited. It is whether we should pass this legislation today or wait for some time and take the opinion of the general public before passing it. Instead of going round about on various other points let us come straight to the subject. My submission is that this is not the proper time for us to pass this legislation today. I will give you reasons for that. One of them is rather a legal ground. As we find it, this is an amendment of the Rajasthan Act and it will not be applicable to the Ajmer District or other parts of the present Rajasthan which have been integrated only recently. Why not wait for some time and bring out a consolidated legislation for the whole of Rajasthan otherwise hereafter you will have to do something for Ajmer and other parts so integrated. Why not wait forsome time ? Why there should be any hurry on the part of the Government and instead of asking us to have a little patience why should not the hon'ble Minister keep patience himself as he expects us to and wait for some time and bring a consolidated legislation for the whole of Rajasthan, instead for a part of Rajasthan ?

No. 2. A suggestion was made here that dirinking in hotels has been prohibited and that was only with a view to bring about prohibition or increased the

[श्री अर्जनदास]

chances of prohibition here. I for one at least don't think that while making a provision like that we will be able to achieve the goal of prohibition here. To tell you frankly, recently I had a drink here in a hotel. The result was that I had to buy a full bottle and had to consume it during one night. Why do you force us to purchase a full bottle when we want to satisfy ourselves with a lesser quantity ? Why not allow us to buy in lesser quantities ? Don't pass these laws in a hurry, because I am sure many of the hon'ble members on both sides who drink may not be in a position to admit here that they drink. Whether they were white caps or black, most of us do drink. but only a few of us will admit that they drink. But if you want to pass laws like this, I would request the hon'ble members to take into consideration the psychological aspect of it To give you an example insted of buying a little thing I had to buy a full bottle. That will not only not help prohibition but on the contrary induces others to drink more. Similarly more. we press for prohibition the chances are that we might be spoilling the cause which we are prepared to advocate here. Sometimes it has been said that anti-corruption will root out corruption. When you wanted to please one man but with the anti-corruption officer you have now to please two. Let us be practical and guided by those who actually drink. But as the people admit otherwise here which atleast I don't know, but when they claim that they don't drink, take the advice of those who drink. Therefore, my suggestion is that let this Bill be circulated for the masses so that they can tell you which are the best ways for achieving objects for which this Bill is before us because the point is whether we should send it for circulation for eliciting public opinion or not.

It is a fact that since you don't drink you don't know how to prohibit it. Ask those who drink. If you are not a thief you don't know why and how a thing has been stolen. Why should you feel shy in accepting our amendment ? We don't suggest. We only say send it for public opinion with the particular amendments to be brought in the original Act. If you don't accept this minor thing I will only say that you are not prepared to hear the opposition. I will request you not to permit us to carry that impression that you want to do everything with your majority. The amendment suggested here is certainly of vital importance. The reasons just now given and those contained in the Statement of Objects and Reasons are self contradictory. They say in brief, "Illicit distillation is assuming tremendous proportions." On this, I don't know, how the hon'ble minister-incharge is able to make a statement. If it is on the increase, what is our Excise Department doing ? Is it sleeping ? If not,

[श्री अर्जुनदास]

why illicit distillation is on the increase ? If you say that it has increased tremendously the only reason can be that our Excise Department is in the league with them, otherwise there cannot be any possibility of this tremendous increase. Will the hon'ble Minister tell us how many cases were detected last year and how many of them were convicted ? If our staff is sleeping why ask us to make the law on the subject more stringent ?

You have further said (in the Statement of Objects and Reasons), "It has a vital effect not only on the excise revenue of the State but also on the state of general crime and the health of the persons addicted to drinking." If it has a bad effect on the health why not bring total prohibition; why this piecemeal legislation ? When liquor has any bad effect on the health why not stop your own distilleries as well. On the one hand you say you will continue your distilleries but and on the other you say it has a bad effect on the health. Then the amendments sought are of vital importanoe, Sir, that the offence should be nonbailable. Bail is offered or refused only with a view to see that the offender does not run away. There is no other object. If you take a heavy amount by way of heavy amount you can equally make sure that the culprit will not run away. The only idea of this Bill is that the Excice Department wants to take powers enough to please the public as much as they can. I being in Jaipur get some information that the Excise Department is not above all. Very recently, in about March, 1956, there were auctions at Jaipur. Some people from Bikaner gave a bid of Rs. 1,25,000/- and immediately thereafter some one gave a bid of Rs. 1,75,000/-. But the officer concerned refused to accept the bid of Rs. 1,75,000/- and accepted Rs. 1,25,000/- bid because a sum of Rs. 45,000/- had been paid to him in advance. Thanks to the hon'ble Chief Minister, who, when the information was conveyed to him, intervened and the bid of Rs. 1,25,000/- was refused and the persons concerned were forced to refund that sum of Rs. 45,000/- Of course, I should thank the hon'ble Chief Minister but that tells us a very sad thing.

श्री अमृत लाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह विषय पहले डिसकस किया जा चुका है इसके बारे में अब कोई वक्त नहीं है जबकि हाउस में विलयर कहा जा चुका है। अगर इसमें कोई नई बात हो तो बताना चाहिये।

श्री अर्जुनदास—I was talking of my own phychology. A decision on whether this Bill should be circulated for public opinion rests with the entire House. I have never implicated you (Shri Yadav)Sir.

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member should address the chair rather than talking directly. He (Shri Yadav) has addressed the Chair.

श्री अर्जुनदास—I do'nt mean the hon'ble Speaker.

श्री अध्यक्ष—Of-course, because the chair is the symbol of the whole House.

श्री अर्जुनदास—Therefore, I have made my position clear.

श्री अध्यक्ष—I object to the observations of the hon'ble member. It is not a place where the chair should be brought into jokes.

श्री अर्जुनदास—I think I should say a bit. But on the contrary I do not to say anything derogatory to the Chair of the House. the dignity of the Chair is above our own dignity and we must keep it, sir.

I was suggesting that this non-bailable position is not acceptable to us, at least, Sir. There are so many crimes much more serious than this, which are bailable. There is no reason why authorities......

श्री अध्यक्ष—It should be discussed when we come to clause by clause consideration.

श्री अर्जुनदास—Very good, Sir. Then I will suggest that the Hon'ble Minister would be pleased to accept this little suggestion of ours that we can wait a little and in the meantime obtain opinion of the public also and then we pass a law like this...

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—क्या इसका आपसे भी सम्बन्ध है ?

(हंसी)

डा० श्री मंगलसिंह—शराब बन्दी की ओर एक बहुत छोटा सा कदम उठाया जा रहा है अथवा उठाया जाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस बात के ऊपर ही जब इतना वाद-विवाद हुआ तो जब शराब बन्दी की बात आयेगी तब न मालूम क्या होगा ? मैं सिर्फ इस बात की ओर पहले ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मनुष्य के ऊपर शराब क्या और कैसे असर करती है ?

Page No.21

श्री अर्जुनदास—क्या आपको इसका कोई तजुर्बा है ?

(हंसी)

डा० श्री मंगलसिंह—जब मनुष्य शराब पीता है उसके ऊपर यह असर होता है कि उसके दिमाग में (कन्ट्रोल) जो शासन करने वाले तंतु हैं दिमाग में, वह दब जाते हैं। बहुत से शराब पीने वाले मित्र भी और शायद चिकित्सक भी ऐसा समझते हैं कि शराब पीने से हार्ट जल्दी चलता है, ताकत बढ़ जाती है और मशीन जल्दी काम करने लगती है। तो इस प्रकार का लोगों का ख्याल है कि शराब पीने से यह असर होता है। परन्तु मैं समझता हूँ कि लोगों को यह बड़ा भ्रम है।

श्री अर्जुनदास—Is it hearsay or personal ?

श्री मानसिंह महार—It is a doctor's advice.

डा० श्री मंगलसिंह—इन प्रश्नों का यदि मैं उत्तर दूं तो समय अधिक हो जायगा और फिर दिक्कत भी होगी। मैं समझता हूं कि वह थोड़ी देर सुनें तो उनको मालूम हो जायगा कि मेरे दिल में क्या है, मेरी राय क्या है ? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बताऊंगा कि जिस समय शराब के नशे में आदमी आता है तो हार्ट जल्दी चलने लग जाता है तो लोग यह समझते हैं कि हार्ट में ताकत आगई। दरअसल बात यह है कि हार्ट के अंदर दो नसें (नर्व) होती हैं एक नस का काम तो यह है कि वह हार्ट को जल्दी चलाती है और एक नस का काम यह है कि हार्ट को जल्दी चलाने से रोकती है। वह नस जो जल्दी चलाने से रोकती है उसके ऊपर शराब का असर पड़ता है और उसका कन्ट्रोल चला जाता है। जो हलका करने वाली नस है और जो हार्ट को जल्दी चलाने से रोकती है उसका असर चला जाता है, उसकी ताकत चली जाती है और इस कारण से हार्ट जल्दी चलने लगता है। जैसे यदि साइकिल का ब्रेक टूट जाय तो साइकिल जल्दी चलती दिखाई देती है और रुकती नहीं है इससे लोग यह समझें कि ब्रेक जल्दी चलाने वाली चीज़ है जो भ्रम है। शराब भी जल्दी चलाने वाली चीज नहीं है। इसलिये लोगों का केवल एक भ्रम ही है। जो धीमे करने वाला ब्रेक है उसको कमजोर कर देता है। यही बात आदमियों के सोने में भी होती है और जब आदमी को स्वप्न होता है तो दिमाग के जो शासन करने वाली नसें हैं वे बेहोश हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और आदमी के हार्ट में जो दूसरी नस होती है जो उसको चलाती है। शराब के पीने से उसकी यह नस आजाद होती है। वह हिस्सा मनुष्य और पशु में एक समान ही होता है। मनुष्य जब शराब पीता है तो उसके दिमाग का वह हिस्सा पशु के समान काम करने लगता है। और मनुष्य पशुवत आचरण करने लग जाता है। उसी प्रकार की अवस्था मनुष्य की स्वप्न में भी हो जाती है और इसीलिये जो बातें मनुष्य जाग्रत अवस्था में नहीं करता वह स्वप्न अवस्था में कर बैठता है। इसी प्रकार से यह शराब भी काम करती है। इसके पीने पर मनुष्य जो काम होशहवास की अवस्था में नहीं कर सकता वह शराब के नशे में कर बैठता है। इसलिये जो बातें कही जाती हैं

[डा० श्री मंगलसिंह]

कि शराब पीने से लाभ होता है बिल्कुल गलत हैं। थोड़ा पीने से फायदा उन लोगों को हो सकता है जो बीमार हैं और वह भी डाक्टर के सुझाव अनुसार। वह भी तब-तक जब-तक उसको बीमारी दूर नहीं हो जाती। मेरा यह निश्चित कहना है कि जो बीमार नहीं है उनको शराब पीने की कतई आवश्यकता नहीं। और जो बीमार हैं उनके लिये शराब या दूसरी दवाइयां देना उतनी देर के लिये ही उपयुक्त है जब तक कि उनकी बीमारी दूर नहीं हो जाती, उसी अवस्था तक बीमार के लिये लाभदायक भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव मनुष्य पर होता है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि शराब आदमी के मस्तिष्क को किस प्रकार खराब करने वाली है। यह ऐसी चीज है कि जो आदमी को पशु की श्रेणी में ले जाने वाली है। हालांकि सरकार जो कदम उठा रही है वह एक बहुत छोटा सा कदम है। हमें तो कम्पलीट प्रोहीबिशन की ओर बढ़ना है यह एक छोटा सा कदम है। इस समय जो बिल हमारे सामने उपस्थित है उसमें सवाल इतना ही है कि यह जो शराब बनाई जाती है और बगैर इजाजत बनायी जाती है वह नहीं बननी चाहिये और जो इजाजत से बनती है वह बनती रहे। लेकिन आखिर शराब तो शराब ही है चाहे इजाजत से बने चाहे बगैर इजाजत के। वह काम तो उतना ही करती है उतना ही दिमाग खराब करती है। लेकिन यह बात उचित है कि जो शराब बनायी ही जाय तो वह कायदे कानून के अन्दर बनायी जाय और वह ठीक प्रपोर्शन से बनायी जाय उसकी देखभाल अवश्य होनी चाहिये उसमें क्या क्या चीजें मिलनी चाहिये और वह ठीक मात्रा में मिलनी चाहिये। यह सब चीजें उसी हालत में हो सकती हैं जब कि ये चीजें कन्ट्रोल के अन्दर बनें। दूसरा इसमें जो नुकसान करने वाली चीजें हैं वे भी इस पर कन्ट्रोल रहने से नहीं आने पातीं। अगर बगैर लाइसेन्स के यह बनाने दी जाती है तो वे तो ऐसी चीजों का उसमें समावेश कर देंगे जिनसे वे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पैदा कर सकें, चाहे उसके पीने से लोगों को कितना ही नुकसान हो वे इस बात को नहीं देखेंगे वे तो अपने फायदे को देखेंगे। चाहे उसमें ऐसी चीजें भी मिला दें जिससे जनता का दिमाग, दिल और पेट खराब हो या दूसरी चीजों को खराब करती हों उनको तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में बोलते हुए एक मित्र ने यह भी कह दिया है कि गवर्नमेंट अपनी डिस्टीलरीज़ को बन्द क्यों नहीं कर देती। वह भी बन्द हो सकती हैं जिस वक्त हम यहां पूरी तौर से कम्पलीट प्रोहीबिशन लागू कर देंगे। इस प्रकार का कानून अभी सदन के सामने नहीं है जब आवेगा तब देखा जायेगा। यह कदम जो इस बिल द्वारा उठाने जा रहे हैं वह एक छोटा सा कदम है कि गैर कानूनी शराब बनाना बन्द किया जाय। इसके खिलाफ जितनी बातें कही गई है उनका मतलब यह है कि जिस प्रकार बन्दूक बनती है आर्म्स एन्ड एम्युनिशन्स बनते हैं उनको भी फ्री कर दिया जाय आपके कहने के मुताबिक। ताकि जो भी रखे वह भी मरे और दूसरों को भी मार सके। लेकिन ऐसा नहीं है बन्दूक वे ही कारखाने बनाते हैं जिनको इजाजत है और वे ही लोग उसको रख सकते हैं जिनके पास लाइसेन्स है। जिस प्रकार कोई आदमी बदूंक बनाना चाहे या

[डा० श्री मंगलसिंह]

रखना चाहे तो वह नहीं बना सकता और न लाइसेन्स के बगैर रख ही सकता है। उसी प्रकार का यह बिल है जिसके अन्तर्गत जिन जिन को इजाजत होगी वही शराब बना सकेंगे। इससे क्या होगा कि शराब ठीक मात्रा में बनेगी और उसमें उन चीजों का समावेश नहीं हो सकेगा जो मनुष्य के स्वास्थ्य को अधिक खराब करने वाली हों। जिस प्रकार यदि सब को हथियार बनाने की छूट दे दी जाय तो क्या नतीजा होगा कि हथियार बनाकर या तो खुद का गला काटेंगे या दूसरों का। यह कानून जो सदन के सम्मुख है, बहुत आवश्यक है शराब बन्दी के लिये यह बहुत आवश्यक है। इसके अन्तर्गत यह बताया गया है कि शराब बनाने के कारखाने कैसे कैसे हों और दूसरे लोग इसे नहीं बना सकें। क्योंकि जिस वक्त हम सम्पूर्ण तौर से शराब बन्दी करेंगे उस वक्त क्या होगा कि केवल इन्हीं कारखानों को बन्द करना पड़ेगा। अगर सब को बनाने की छूट देते हैं तो क्या होगा कि जिस समय सम्पूर्ण शराब बन्दी करना चाहेंगे उस वक्त बड़ा भारी काम करना पड़ेगा। इसलिये भी यह आवश्यक है कि उन जगहों को बन्द करें जहां नाजायज़ तौर से शराब बनती है। इस प्रकार की चीजें बन्द करना आवश्यक है यह तभी हो सकता है जब कि हम कन्ट्रोल करें। यह मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि शराब किसी तरह से भी स्वास्थ्य के लिये लाभकारी नहीं। जो लोग बीमार हैं उस हालत में केवल डाक्टर के इन्सट्रक्शन्स के मुताबिक डोज़ की तौर पर और उसके अन्दर भी अन्य दवाइयों के सम्मिश्रण के साथ लिया जाय तो फायदा कर सकता है। वैसे शराब शब्द बहुत बड़ा है बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं, उसमें थोड़ी सी चीज जो बीमार को लाभकारी हैं उसकी आड़ लेकर यह कहना कि शराब कोई नुकसान नहीं करती ठीक नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट इस ओर कदम उठा रही है वह ऐसा कदम है जिसे सदन सर्व-सम्मति से स्वीकार करे। मेरे खयाल से पहले इस बिल में ऐसा था, या तो जुर्माना हो या सजा हो अब इसमें ऐसा है सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। मैं यह समझता हूँ कि जब कि हमें इसकी पाबन्दी कराना है तो इसके लिये जितना भी हम सख्त प्रबन्ध करेंगे उतनी ही ज्यादा कामयाबी हमें मिलेगी। आज जिस शराब बन्दी के लिये जो कदम उठा रहे हैं वह हालांकि तुच्छ है फिर भी हमें इसमें पूरा सहयोग देना चाहिये क्योंकि हम पूर्ण शराब बन्दी करने का वादा कर चुके हैं उसके लिये यह जो कदम है वह बहुत आवश्यक कदम है। इससे यह होगा कि कन्ट्रोल होगा। लाइसेन्स होगा वे ही शराब बनाने का काम कर सकेंगे और जब अन्त में हम पूर्ण तौर से शराब बन्द करना चाहेंगे अवश्य करेंगे चाहे हमें उसमें कितना ही आर्थिक नुकसान हो वह करेंगे और जो लाइसेन्स लेकर कारखाने चलेंगे उनको भी बन्द कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बिल हमारे सामने आया है उसका हमें स्वागत करना चाहिये और मैं तो यह समझता हूं इसे जल्दी से जल्दी और आज ही पास कर देना चाहिये।

श्री ओदपाल त्यागी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात में दो मत हो नहीं सकते कि शराब बन्दी की जाय। यद्यपि वे व्यक्ति जो शराब लेते हैं या पीते हैं वे चाहे दिल में यह महसूस

[श्री वेदपाल त्यागी]

करें कि इस प्रकार की पाबन्दी करने से मुश्किल हो जायगी लेकिन जहां तक सिद्धांत का मामला है वे भी कभी इस शराबखोरी को रोकने की मुखालफत नहीं करना चाहेंगे । इसको रोकने के लिये जो भी कदम उठाया जाय उसकी सराहना जरूर की जानी चाहिये । लेकिन गवर्नमेंट जिस प्रकार के कदम इस विषय में उठा रही है वह हाफ हार्टेड मेजर्स हैं उस पर मुझे मतभेद है । आज जिस तरह से यह बिल लाने की जुरंत पेश आयी है उसका कारण यह है कि आपने शराब के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया वह इतना नहीं लगाया कि शराब बिल्कुल बन्द करदी गई हो, आप शराबखोरी को कम करना चाहते हैं धीरे धीरे पूर्ण शराब बन्दी की ओर कदम उठाना चाहते हैं । जैसा कि इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है इसको पूर्णतया बन्द करने में गवर्नमेंट को आर्थिक नुकसान होता है । मैं समझता हूँ इस बिल को लाने के लिये सब से ज्यादा जो जरूरी चीज हुई है वह आर्थिक हानि सरकार को न होने पावे इससे चाहे जनता के स्वास्थ्य में कितनी ही गिरावट हो उसका खयाल नहीं रखा गया अगर जनता के स्वास्थ्य का खयाल किया जाता तो आर्थिक हानि का कोई मतलब नहीं रहता । इसके अतिरिक्त इस कानून का मतलब यह भी है शराब जो गैर कानूनी तरीके से बनायी जाती है उसे रोका जाय ताकि सरकार की आमदनी बढ़े । गैर कानूनी तरीके से बनायी जाने वाली शराब को रोकने का कोई जिक्र नहीं इसके लिये यह कहना कि प्रोहीबिशन को रोकने की ओर कदम है यह गलत है । आज जो गैर कानूनी शराब बनती है उसका मुख्य कारण यह है कि आप इसको रोकने के लिये हाफ हार्टेड मेजर्स अपनाते हैं । प्रतिबन्ध आपने केवल लगा रखा है कि होटलों में शराब न दी जाय । मैं नहीं समझा इससे शराब बन्दी को आप कहां तक रोक पाये हैं । अगर आप होटल में शराब नहीं देते हैं तो जो पीनेवाले होंगे वे अपनी बोतल लाकर पी सकते हैं और पीते हैं उस पर कोई पाबन्दी नहीं । इसका एक मात्र कारण यह है कि जो सामाजिक कुरीतियां आजतक चली आ रही हैं उनसे ऊपर नहीं उठ पाये हैं । इसलिये जो पीने वाले हैं उनको अधिक व्यय करना पड़ेगा । और यह अधिक व्यय अमीर तो कर सकता हैं पर गरीब नहीं । लिहाजा उनको गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि गैर कानूनी शराब बनती है, जिसको रोकने के लिये यह बिल लाया गया है । तो मैं निवेदन करूं कि गवर्नमेंट को इसमें पब्लिक ओपीनियन अवश्य लेनी चाहिये । अगर आज आप यह कानून बनाते हो कि टोटल प्रोहिबिशन हो तो यह गैर कानूनी शराब बनना रुक सकता है । तो इन सारी चीजों को रोकने के लिये फिर आप टोटल प्रोहिबिशन करिये, फिर चाहे इसमें कितनी ही आर्थिक हानि क्यों न हो पूरी मजबूती से कुछ करिये, इस तरह हाफ हार्टेडली मेजर लेकर लोगों को गैर कानूनी चीजें करने के लिये बाध्य न करिये । आज ये गैरकानूनी बातें हो रही हैं इसका एक मात्र कारण गवर्नमेंट की यह हाफ हार्टेड नीति है । वर्ना एक बार आप इसे मजबूती से बन्द करदें और इसको चलाने के लिये कड़े मेजर्स लेलें, लोगों को सख्ती से इस कानून को मनवाने के लिये एक मजबूत मशीनरी तैयार करें, इस प्रकार की नहीं जिसके लिये आज शिकायत की जाती है कि आपके खुद इन्सपेक्टर्स रिश्वतें लेते हैं, और इस गैर कानूनी शराब को चालू रखते हैं । अगर ऐसी कमजोर रिश्वतखोर

[श्री वेदपाल त्यागी]

मशीनरी रक्खेंगे तो कोई भी मजबूत कदम भी आपका बेकार जायगा, आपका यह कानून भी बेकार होगा। इसलिये आपनें मजबूत कदम उठाने की क्षमता हो, दृढ़ आत्मविश्वास हो कि आप इस कानून को मनवा सकेंगे तो आप आगे बढ़ें। और फिर क्या है, हर जगह आप कितने ही कानून बनावें कानून तोड़ने वाले तो मिलेंगे ही। इण्डियन पीनल कोड को बने सैंकड़ों बरस हुए इसमें मरडर के लिये फांसी की सजा का जिक्र है पर फिर भी आज तक मरडर होते हैं तो आप यह मान कर चलें कि एन्टीसोशल एलीमेंट का काम बराबर समाज में रहेगा। आप यह चाहें कि हरेक आदमी समाज में ऊंचे दर्जे का स्टेन्डर्ड अपना ले और कानून का बराबर पालन करले तो वह तो नहीं होगा। हर वक्त और हर समय में आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जो कि एन्टीसोशल एक्टीविटीज़ में लगे हों। इसलिये उनको रोकने के लिये आपको एक मजबूत मशीन कायम करनी होगी जो कि ऐसी मजबूत हो कि स्वयं उसमें इन्वोल्व न हो। मुझे अब बम्बई जाने का इत्तफ़ाक पड़ता है तो मैं देखता हूँ कि वहां टोटल प्रोहीबिशन है हालांकि इसके लिये वहां की पब्लिक ओपीनियन तैयार नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वहां हर तीन मकानों में से एक मकान ऐसा है जिसमें इल्लिसिट लिक्विर बनती है। इसका कारण यह है कि अभी लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है, आप सामाजिक सुधार करना चाहते हैं पर इसको अपनाने के लिये आपने उनमें जो आवश्यक वातावरण चाहिये वह वातावरण उनमें तैयार नहीं किया और इस कारण से होता क्या है कि बड़े बड़े अफसर इन कामों के लिये मुकर्रर किये जाते हैं वे खुद शराब पीते है तो ऐसे अफसर क्या शराब पीने वालों को रोकेंगे। तो जो चीज आप बनाने जा रहे हैं उसमें आप अपना उदाहरण पेश करिये पहले तो। आप स्वयं तो उसके अनुसार चलिये।

महात्मा गांधी ने बड़े ऊंचे प्रिन्सिपिल से इसके लिये आवाज लगाई थी। वे लगा सकते क्योंकि स्वयं उस पर बड़ी कड़ाई से आचरण करते थे। पर आप वह आवाज़ नहीं लगा सकते क्योंकि आपमें से बहुत से आदमी कहने को तो कह देंगे कि वे इसे मानते हैं पर बहुत से लोग शराब इस्तेमाल करते हैं। लेजिस्लेचर शराब रोकने की बात करता है पर उसमें अगर काफी से ज्यादा व्यक्ति शराब पीने के आदी हैं तो उस लेजिस्लेचर को हक नहीं है कि वह इस प्रकार का कानून बनावे।

इसलिये ऐसी हालत में इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकने की अगर आपकी वाकई में इच्छा है तो आप पहले टोटल प्रोहिबिशन कर लीजिए, फिर मजबूत मिशीनरी तैयार करिये।

आपने इसमें कम से कम जो सजा मुकर्रर की है और नान बेलेबल ऑफेन्स जो इसको बनाया है वह क्रिमिनल व ज्यूरिसप्रूडेन्स के सिद्धान्त के कतई विपरीत है। वह यह मानता है कि अदालत से जब तक साबित नहीं हो जावे वह निर्दोष रहेगा। ऊंचे से ऊंचे क्राइम को इसमें नानबेलेबल नहीं माना गया है। पर इसको नोनबेलेबल बनाकर आपने एक रास्ता खोल दिया है कि वह व्यक्ति आपकी इस करप्ट मशीनरी का

Page No.26

[श्री वेदपाल त्यागी]

शिकार हो। अगर वह रिश्वत देने से इन्कार करता है तो जेलखाने में सड़ सकता है क्योंकि आपने ऐसा कानून बना दिया है और इस कानून के द्वारा एक बहुत बड़ा हथियार इस करप्ट मशीनरी के हाथ में दे दिया है। आज इतने बड़े बड़े आफेन्सेज़ हैं, हीनियस आफेन्सेज़ है जो कि सोसायटी को बर्बाद करते हैं, उनमें भी मजिस्ट्रेट के डिस्क्रीशन को बन्द नहीं किया है, वहां भी वे केस बेलेबल ही रक्खे गये हैं और यह भी नहीं कि इतनी सज़ा तो देनी ही होगी। अब आप इन सिद्धान्तों को बालाए ताक रखकर यह कानून इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि कम से कम ६ महीने की सजा तो देनी ही होगी चाहे मजिस्ट्रेट मिटीगेटिंग सरकम्सटेन्सेज में यह राय ही क्यों न बना ले कि एक महीने की सजा से भी इसमें सुधार हो सकता है। पर आज आप कानून बनाने जा रहे हैं कि ६ महीने की सजा तो देनी ही पड़ेगी। तो यह एक सैद्धान्तिक चीज है जिसको पहले एग्ज़ामिन करने की जरूरत है और जहां समाज सुधार के लिए इसे रखने की तैयारी करते हैं वहां समाज से पूछ लेना भी बहुत जरूरी है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जो यह प्रस्ताव रक्खा गया है उसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जावे। ऐसी जल्दी आज नहीं है कि यह कानून जल्दी पास होना ही चाहिये नहीं तो कोई बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। आज इस प्रकार की इल्लिसिट डिस्टिलरी से चन्द रकम का सरकार का नुकसान होता है। इसकी कोई चिन्ता नहीं। पर वास्तव में आप समाज सुधार चाहते हैं तो इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाइये, लोगों को तैयार करिये, और इसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करिये कि लोगों की तरफ से स्वयं इसकी मांग आए। आप यहां से कानून बना लेंगे पर इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। हां, इससे इन लोगों की जेब जरूर गरम हो जावेगी जिनको आपने इस इल्लिसिट डिस्टीलेशन को रोकने के लिये लगा रक्खा है। पर वास्तविकता तो यह है कि इस कानून से कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ऐसी हालत में मैं फिर निवेदन करूंगा माननीय मन्त्रीजी से कि वे इस पर पुनः विचार करें और इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दें कि आया आज पब्लिक इसके लिए तैयार है कि नहीं, टोटल प्रोहिबिशन चाहते हैं या नहीं जिससे कि प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ा जा सके। आपने यह कहा कि यह प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ने का एक कदम है पर मैं इसको कोई कदम मानने को तैयार नहीं हूं बल्कि इसके द्वारा एन्टीसोशल एलीमेन्ट को प्रोत्साहन दिया जायगा कि जिसके द्वारा वे गैरकानूनी काम करने पर उतारू हों और उनको भी प्रोत्साहन दिया जायगा कि मिलेगा जो करप्ट आफिसर्स या मशीनरी के पुर्जे जिसके द्वारा रिश्वत का बाजार गरम होगा।

तो अन्त में मैं यही कहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी इस पर पुनः विचार करें और इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दें।

श्री अध्यक्ष—समाप्त कीजिए।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्षजी, यह एक छोटा सा संशोधन एक्साइज एक्ट में लाया गया है और वह यह है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन को चैक करने के लिए जो सजा का प्रोविजन है उसको सख्त किया जावे। यह जो माननीय सदस्य ने इस पर बहस की और लम्बी देर तक इस पर अपने अपने विचार जाहिर किए उनको माननीय अध्यक्ष, मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। एक हिस्से में तो यह है कि उन्होंने जो प्रोहिबिशन के ऊपर देश में बम्बई वगैरह में जो टोटल प्रोहिबिशन हुआ है उस पर और जो राजस्थान में और दूसरी रियासतों में पार्शयल प्रोहिबिशन हुआ है उस पर अपने विचार जाहिर किए हैं और यह एक हिस्सा है, उनकी बातचीत का और उनके विचारों पर प्रकाश डालने का।

दूसरा हिस्सा है मेरे संशोधन से सम्बन्धित और वह यह है कि जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है उसको रोका जावे।

मैंने जो यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया है उसमें इल्लिसिट डिस्टिलेशन को चैक किया जावे, यह मेरा इसमें उद्देश्य है। इस पर मैं पहले निवेदन करना चाहूंगा। इस वक्त में टोटल प्रोहिबिशन की बात को एक तरफ रख देता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर इल्लिसिट डिस्टिलेशन को चैक नहीं किया जावे तो उससे क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है और उससे इस बात की क्यों जरूरत पेश हुई। यह बिल्कुल सही बात है कि इसके एम्स और ओब्जेक्ट्स में हमने दोनों बातें रक्खी हैं। राज्य की आमदनी की भी बात रक्खी है, इससे इन्कार नहीं करता। मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से इल्लिसिट डिस्टिलेशन बढ़ता है तो राज्य की आमदनी घटती है और राज्य की आमदनी को बढ़ाने के लिये और घटने नहीं देने के लिये उचित कदम उठाना राज के लिए मुनासिब है, वाजिब है और उनके लिए यह कर्त्तव्य हो जाता है। यह बात इसके अन्दर है और इससे इन्कार करने का सवाल नहीं उठता। पर इसके साथ ही यह बात भी है कि इससे सरकार की आमदनी घटती है पर इससे जनता का स्वास्थ्य भी खराब होता है और क्राइम भी बढ़ते हैं।

वे कैसे बढ़ते हैं? इसलिए कि राज्य की तरफ से जो शराब बनती है वह एक निश्चित प्रेस्क्रिप्शन पर बनती है, राज्य की देख रेख में बनती है और उसमें आल्कोहोल की मात्रा, जो एक नशैला पदार्थ है, भी एक खास प्रोप्रोर्शन पर होती है और वह राज्य द्वारा प्रमाणित शराब में ही होती है। जो लोग इल्लिसिट डिस्टिलेशन करते हैं वे उसमें ऐसे नशीले पदार्थ और डाल देते हैं जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, उनसे नशा तेज मिलता है और इसीलिए वे इसमें नशीली तेज चीजें डाल देते हैं। इस प्रकार के केसेज पकड़ने में आये हैं और उनसे यह मालूम हुआ है। अगर इस प्रवृत्ति को न रोका जाय तो जन-स्वास्थ्य की हानि होती है, उसको रोकना सरकार कर्तव्य मानती है। जहां इस तरह का इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है, इसके अड्डे होते हैं, जगह होती हैं। जहां नाजायज तौर पर इल्लिसिट डिस्टिलेशन होने से नाजायज और गैर कानूनी कार्यवाहियां होती हैं, वहां क्राइम्स बढ़ते

Page No.28

[श्री अमृतलाल यादव]

हैं, उनका सवाल आता है। क्राइम्स की रिपोर्ट यह बताती है कि ज्यादा क्राइम्स होते हैं, शराब पीकर लोग नशे में लड़ते हैं और यहां तक कि मरडर भी हो जाते हैं, इस दृष्टि से भी इसको रोकना जरूरी है। इसलिए सरकार की तरफ से शराब बनती है उसमें और जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है उसमें, दो बातें मैंने निवेदन की। शराब सरकार द्वारा बनती है उसका प्रेस्क्रिप्शन होता है और वह हानिकारक नहीं होती है कि जो आदमी की जान को ही ले बैठे और दूसरा उन व्यक्तियों द्वारा शराब बनायी जाती है; जो लोग नाजायज तरीके से शराब बनाते हैं, नाजायज तरीका अपनाते हैं, वे जरायम को बढ़ाते हैं और उनको रोकना सरकार का कर्तव्य है।

तीसरा इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है, उससे सरकार को आमदनी कम होती है। शराब पीने वाले हैं उनको वाजिब तरीके से, वाजिब प्रेस्क्रिप्शन पर, उचित मात्रा में मिले। उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की हुई है जिसमें इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है उसमें कन्जम्पशन कम होता है और उसकी आमदनी कम होती है जिसको रोकना मुनासिब है। इसी दृष्टि से प्रोहिबिशन न भी हो तो इलीसिट डिस्टिलेशन को तो रोकना आवश्यक होता है। अब तक शराब बन्दी नहीं थी। इसका कदम १ अप्रेल, १९५६ से उठाया है। उससे पहले तो इल्लिसिट डिस्टिलेशन रोकने की व्यवस्था की है। एन्टीस्मेंलिंग फोर्स काम करती है। लेकिन जब पार्शियल प्रोहिबिशन इन्ट्रोड्यूस किया है तो इस मशीनरी को और भी तेज करने की कोशिश की है। इस ओर विशेष तवज्जोह देने की कोशिश की है। हमारी निगाह में आया करते हैं कि इस तरह के केसेज होते हैं उस दिक्कत को दूर करने के लिए ऐसा किया है। ज्यादातर केसेज खराब हो जाते हैं और आदमी जो जघन्य अपराध करते हैं उनको मामूली सजा मिलती है। एक्जिस्टिंग कानून हैं उसमें यह है कि सजा दी जाय या जुर्माना किया जाय। हमने यह व्यवस्था की है कि सजा और जुर्माना दोनों ही किये जांय।

श्री अर्जुनदास—With both also.

श्री अमृतलाल यादव (अपना भाषण जारी रखते हुए)—वह हटा दिया गया है। सजा और जुर्माना दोनों हैं। दोनों इसलिए रखे हैं कि एक आदमी जब इल्लिसिट डिस्टिलेशन करता है तो जो साधन और सामान उसके पास होते हैं उनको पकड़ना पड़ता है। लोग मौके पर होते हैं, वहां पंचनामा बनाया जाता है, इनकी दुकानें भी होती हैं, उन केसेज़ में एक प्रकार से फिर आगे जाकर ढिलाई हो जाती है, केसेज में कमी नहीं आती है और खास तौर पर इस प्रकार का जघन्य अपराधी १८-२० रुपये के जुर्माने पर छूट जाता है और जो मकसद है वह पूरा नहीं होता। इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि इस प्रकार के जो केसेज़ हों, जो जरायम होता है, उसको सख्ती के साथ रोकने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें यह आता है। मैं यह निवेदन करूं कि फैक्ट्स के आधार पर इसको सोचा गया है, एन्टी स्मेगलिंग फोर्स वालों ने इल्लिसिट डिस्टिलेशन के केसेज पकड़े हैं, उनका नतीजा निकला है, उसका परिणाम हुआ है। अगर इनको सख्ती से नहीं देखा गया,

[श्री अमृतलाल यादव]

इनका सख्ती के साथ निपटारा नहीं किया गया तो इल्लिसिट डिस्टिलेशन जिसको चैक करना चाहिए वह नहीं हो पायेगा। उसमें कमी हो जायगी जिसको चैक करना लाजमी और जरूरी है।

जमानत की बात कही, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो इस तरह के केसेज हुए हैं उनके निपटारे में देरी हो जाने पर उनका महत्व कम हो जाता है इसलिए उनको जल्दी और तुरन्त करने की आवश्यकता रहती है और इसीलिए यह किया गया है कि इस प्रकार के केसेज के फैसले जल्दी, तुरन्त हों और उनका तेजी से निपटारा हो जाय। अगर एक आदमी इल्लिसिट डिस्टिलेशन करता है, वह १८-२० रूपये जुर्माने के देकर छूट जाता है और उससे उसको फिर प्रोत्साहन मिलेगा और जब उसको इस प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा तो वह एक दिन पक्का काम करने वाला बन जायगा। अगर शुरू में ही उसको वाजिब सजा तत्काल मिल जावेगी तो हो सकता है कि वह पुन: वैसा करने से बाज आये।

राजस्थान में शराब बिकती है, शराब पीने वाले हैं, सरकार की तरफ से शराब की दुकानें हैं। उनका चेक, उनकी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था हो जाना लाजमी हो जाता है और इसी दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।

अभी मशीनरी के करप्ट की बात कही गई, उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं। मशीनरी करप्ट है या करप्ट नहीं है, उसका यह फैसला करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। अगर अधिकारियों में से कोई ऐसा आदमी है जो नाजायज फायदा उठाता है, जुर्म करता है, उसके लिए तरीका बना हुआ है, कायदे बने हुए हैं उसके माफिक सजा मिलती है और उसमें किसी के हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, इधर बैठने वालों को यही शिकायत है कि जब सजा का प्रश्न आता है तो आप उनके बीच में आ जाते हैं।

श्री अमृतलाल यादव—यह बिलकुल गलत है।

श्री जगतसिंह झाला—On a point of explaination, Sir, आये हैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमृतलाल यादव—By this disturbance, Sir.

यह गलत बात है। मैं इससे इन्कार करता हूं। कोई बीच में नहीं आता है, कोई नहीं आया है और न सवाल ही उठता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री लोगों का कोई

[श्री अमृतलाल यादव]

रिश्तेदार है या कोई घर वाले हैं या कोई समाज वाले हैं या उनके कोई मित्र लोग हैं उनका कोई कुसूर नहीं कि वे मन्त्री के रिश्तेदार हैं। यह कोई सजा नहीं कि वह मन्त्री का रिश्तेदार है। अगर वह अच्छा काम करता है तो उसको अच्छाई मिलेगी, अगर बुरा काम करता है तो उसको बुराई मिलेगी। यह बात कह कर कि क्योंकि मन्त्री का सम्बन्धित व्यक्ति है, मन्त्री का रिश्तेदार है क्या उसको रोकना चाहते हैं कि वह राज्य की नौकरी नहीं कर सकता, समाज में रहता है तो चल फिर नहीं सकता। आखिर क्या चाहते हैं मन्त्री के रिश्तेदार से? सम्बन्धित होने का क्या माने रखते हैं? अगर मन्त्री के रिश्तेदार ने कसूर किया है तो उसको सजा मिलेगी, उसको रोकने का सवाल नहीं आता। अगर आप यह समझते हैं कि करप्शन फैलता है, मन्त्री का सम्बन्धी है, मैं तो जो सबजुडिस मामले हैं, जो कार्यवाही में हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपका कर्तव्य हो जाता है कि पूरी ताकत से रोकें और दूर करें। और यह कहने से काम नहीं चलता है कि मंत्री का रिश्तेदार कोई है, इस वजह से मंत्री कोई किसी किस्म से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। उसके ऊपर असर डालने की बात कही जाय तो इसका असर पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी में करप्शन को रोकने के लिये जितने आप उत्सुक हैं उतना ही मैं भी उत्सुक हूं। उसके लिये जो कोई भी आप सुझाव दें उसमें मैं भी आपके साथ में हूं। लेकिन यह आपको अपने आप को देखना चाहिये कि एक स्टेज में किस तरह की बात आप करना चाहते हैं और दूसरी स्टेज पर किस तरह की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि जहां एक तरफ मशीनरी के करप्शन को रोकने की बात कही जाय, जनता के स्वास्थ्य को बचाने के लिये बात कही जाय, उसमें शराबखोरी नहीं हो, यह बात कही जाय, उसको रोकने का एक्शन लिया जाता है तो उनका विरोध किया जाता है, उन पर एक्शन नहीं लिये जाने की बात कही जाती है। इतिहास बताता है सामाजिक बुराइयों का कि सामाजिक बुराइयां एक साथ कभी नहीं मिटी हैं। मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य जो हैं उनको कहना चाहता हूं कि शारदा बिल पास हुए कि छोटे छोटे बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिये; कितने साल हो गये, वह कितना पुराना बिल है और आज भी क्या स्थिति है। अस्पृश्यता निवारण बिल पार्लियामेंट से पास हो गया तो क्या आप कह सकते हैं कि सारे देश से अस्पृश्यता समाप्त हो गई, लेकिन इसके साथ में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस कदम को नावाजिब मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह कदम नहीं उठाया जाना चाहिये? आप कहना क्या चाहते हैं? इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकने के लिए, शराबखोरी को रोकने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं क्या वे कदम नहीं उठाये जाने चाहिये? ऐसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये अगर इस तरह से कदम नहीं उठाये जायेंगे तो समाज से ये बुराइयां अपने आप तो उठेगीं नहीं। सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कदम उठाये जाते हैं, शनैः २ कदम उठाये जाते हैं। मैं यह नहीं समझ पाता कि यह कहा गया है कि पार्श्यल प्रोहीबिशन किया है वह बिल्कुल गलत है। पार्श्यल प्रोहीबिशन से इल्लिसिट डिस्टीलेशन

[श्री अमृतलाल यादव]

बढ़ता है इसलिए पार्शयल प्रोहिबिशन नही किया जाना चाहिये, टोटल प्रोहिबिशन किया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि टोटल प्रोहिबिशन किया बम्बई के अन्दर तो तीन घरों के बीच में एक घर में इल्लिसिट डिस्टीलेशन होता है तो यह सूचना उनके पास होगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वे सदन के महान् नेता, श्री मुरारजी देसाई और राजगोपालाचारी के एक्शन्स को कन्डेम करना चाहते हैं। उनके समाज सुधार के कामों को, उनके विचारों को और उनके कार्यों को .....

श्री वेदपाल त्यागी—उनके एक्शन को कन्डेम करने का मतलब नहीं था, बल्कि कहने का मतलब यह था कि जिस मशीनरी के द्वारा वह रोकना चाहते हैं वह मशीनरी इतनी करप्ट है कि शराब बन्द नहीं हुई बल्कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन चल रहा है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर १६० सदस्यों में से इस हाउस के १०० सदस्य शराब पीते हैं, इस वजह से मेरा उठाया हुआ कदम नहीं रुकेगा। अगर मशीनरी करप्ट है, अगर कोई एक्साइज़ कमिश्नर शराब पीता है इस वजह से शराबखोरी को नहीं रोका जाय, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जिस आदमी के अन्दर बुराई है तो उस बुराई को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन उस बुराई को रोकने के लिये कोशिश करनी चाहिये। मैं माननीय अध्यक्ष...

श्री श्रीमानसिंह—On a point of information, Sir, कमिश्नर साहब जो पीते हैं तो क्या आपकी पोलिसी जो रोकने की है उसमें मदद करेंगे क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं उनकी मदद का मुन्तज़िर नहीं हूं।

श्री श्रीमानसिंह—Will the Hon'ble Minister act as Excise Commissioner ?

श्री अमृतलाल यादव—एक्साइज़ कमिश्नर प्रोहिबिशन नही कर रहे हैं, वह तो मैं कर रहा हूँ।

श्री जगतसिंह झाला—मेरा यह निवेदन था कि ऐसे इन्सपेक्टर जिनका १६४ में बयान होने जा रहे हैं उनको डिपार्टमेंटल कार्यवाही करके रिइन्स्टेट कर दिया है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—This disturbance should not be allowed.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य ६०० चूहे खाय बिल्ली हज को चली, यह सवाल सामने आता है। एक इन्सपेक्टर की बात को लेकर...

Page No.32

श्री श्रीभानसिंह—On a point of order, Sir, I think this not the Parliamentary language "कि माननीय सदस्य यह कहें, ६०० चूहे खाय बिल्ली हज को चली।"

श्री अर्जुनदास—On a point of order, Sir, the Hon'ble Minister's remark may be on the Hon'ble Member. The Hon'bls Minister said, '६०० चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली' Probably this is a direct remark, and this is an insulting remark. I would request for the ruling of the Chair.

श्री जगतसिंह झाला—मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसको वापिस लिया जाय, एक्सपन्ज किया जाय। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं क्योंकि यहां पर हमारा और कौन है ? मिनिस्टर्स को इस तरह से प्रोत्साहन देंगे तो कोई भी होगा वह कह सकता है। यह बड़े दुःख की बात है कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा। ९०० चूहे खाये होंगे तो उन्होंने खाये होंगे मैंने तो नहीं खाये हैं।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने तो जनरल बात कही है। अगर माननीय सदस्य अपने ऊपर समझते हैं तो कोई इलाज नहीं है। मैं तो जनरल बात कहना चाहता हूं। यह सभी के लिए लागू होती है।

श्री अध्यक्ष—आपका (श्री जगतसिंह) का नाम नहीं लिया है। उन्होंने आपके लिए नहीं कहा है और न किसी मेम्बर की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहावत कही है, उन्हें इसका विश्लेषण करने दीजिये कि किस पर कही।

(हंसी)

श्री अर्जुनदास—It may be idiom, but whether we are entitled to use this language as Parliamentry language in this House ? Can we use like this ? Would your honour permit us like this ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—This is a perfect idiom, Sir.

श्री अर्जुनदास—If that is an idiom, if this is an idiom for them we can also throw it on their head.

श्री अध्यक्ष—This is a proverb which is prevalant in whole of the country.

श्री अर्जुनदास—This is for your honour to judge whether this is a parliamentary language.

श्री अध्यक्ष—The question does not arise whether it is Parliamentary, or not. A word said at a particular time may be interpreted in a different way, and any member can object if it is said in a different tone and at a different time, and taken in a different mood. That is the main thing. The Hon'ble Minister quoted only a proverb which is, I think, prevalent in whole of the country. If he certainly means to apply it to a particular member, the members have a right to complain and object. Why should they hear such remarks, and I would request the Hon'ble member not to waste such proverbs on the House.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, वह उन पर लागू होता था।

श्री अध्यक्ष—I may say what I also feel sometimes when such procedures are adopted on behalf of the opposition. I had objected to the speaking on or referring to one instance by one Hon'ble Member. Then he went and canvassed to another member and got it said by him. I think when the Opposition insinuates such replies they should be prepared to face similarous when they are hurled by the Treasury Benches. In the present case there is nothing like this. Therefore, what I can gather is that the Hon'ble Minister does not mean any particular member. It is only for those who rather do not practise in their life but want to preach to others. That is the meaning of the proverb and that is applicable to all. I think Hon'ble Minister does not mean any particular member.

श्री अमृतलाल यादव—No, Sir, not at all.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक अप्रेल, १९५६ से राजस्थान में प्रोहीबिशन के बारे में कुछ कदम उठाया गया और उसके लिए जब भूतपूर्व राज प्रमुख की स्पीच पर हमने जो डिसकशन किया था उसमें इस बारे में कदम उठाने पर वह बहस मुबाहसा किया गया और इस बारे में माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा प्रकाश डाला। मैं तो सीमित रहता इस तक ही लेकिन मेरे लिये यह लाजमी हो गया कि इस संबंध में भी कुछ कहूं। उस समय मुझे माननीय सदस्यों की ओर से आश्वासन मिला था कि मेरी मदद करेंगे और मुझे सहयोग देंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि वे उल्टा विरोध करने लगे। मैंने हमेशा कहा है कि इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जाय। यदि हम यह मानते हैं कि यह सामाजिक बुराई है तो इसे दूर करने के लिये भी यह मानेंगे कि यह बुराई एक दम दूर नहीं हो सकती। इसके बारे में दोनों तरह के विचार आए है। पार्शियल प्रोहिबिशन को नहीं मानते और टोटल प्रोहिबिशन एक दम से नहीं किया जा सकता। जब हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब हमने इस बुराई को दूर करने की ओर कदम उठाया है तो मुझे ऐतराज नहीं है कि माननीय सदस्य पक्ष में या विरोध में विचार प्रकट करें। मुझे तो दोनों ही तरफ से लाभ है। मुझे जो सुझाव मिलेंगे उनसे लाभ ही उठाऊंगा।

Page No.34

[श्री अमृतलल यादव]

मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने इसका स्वाद नहीं चक्खा इसलिये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिन लोगों ने इसका स्वाद चक्खा है उनके घरों को बर्बाद होते मैंने जरूर देखा और अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूं जिसमें इसका काफी प्रचार है और इसके कारण उस समाज की प्रतिष्ठा और आर्थिक अवस्था को नुकसान हुआ है...

श्री मानसिंह महार—आपने इसका स्वाद नहीं चखा, इसका क्या सुबूत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जैसे आप कहते है उसी तरह से यह भी कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—These are personal talks.

श्री अमृतलाल यादव-(जारी) अब सवाल आता है कि इस संबंध में जो पार्शियल प्रोहिबिशन का कदम उठाया, उससे १ अप्रेल, १६५६ के बाद बहुत बड़ा लाभ हुआ और कई परिवारों के लोगों को लाभ पंहुचा। इस अच्छी चीज को हमने समझा और जो नीति निर्धारित की वह यह है कि यदि समाज इसको रियलाइज़ करले, महसूस करले कि यह एक बुराई है और जो नये पीनेवाले हैं या सोबत में बैठकर पी लेते हैं वे लोग होटलों या रेस्टोरेंट्स में जाकर सीखते हैं, उनके लिये यह एक माइल्ड स्टेप है, यह मैं स्वयं मानता हूं। लेकिन इस माइल्ड स्टेप से भी लाभ हुआ है। जो नौजवान, स्कूल के बच्चे आदि जिनके घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी से इसे पीने का सवाल पैदा नही हुआ वे वहां जाकर पीना सीखते थे, होटल, रेस्टोरेंटस में बैठकर उनको पीने का मौका मिलता था, वह मौका अब नहीं मिलता है और इस कारण से इस बुराई से बचते हैं। इसलिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जो कदम उठाया है और हमारी जो निर्धारित नीति है उससे हम इस सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं और समाज यह समझे कि यह बुरी चीज है, यह रियलाइज कराने के लिये हमने यह कदम उठाया और नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों के यहां सगाई या शादी के समय शराब के बिना काम नहीं चलता था वे लोग इस बुराई से बचे हैं और जिन लोगों को पार्टियों के समय मजबूर किया जाता कि वे शराब पिलायें, यदि वे १०० रुपये का भी खाना खिलाते थे तो भी लोग उसको रेलिश नहीं करते थे और उसके साथ ५०० रुपये की शराब पिलाते थे तभी रेलिश करते थे, उनको इससे राहत मिली है। समाज में जो इस तरह के लोग हैं, जिनकी आदत घरवालों से छिपाकर पीने की पड़ गई है....

श्री अध्यक्ष—यह आप प्रोहिबिशन की तो स्पीच नहीं दे रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—प्रोहिबिशन के लिये कहा था, उसका जबाब दे रहा था।

श्री अध्यक्ष—Irelevant reply to irrelevant things.

श्री अमृतलाल यादव—All right, Sir, I will confine myself,

(श्री अमृतलाल यादव)

शराब बंदी का पार्शियल कदम उठाया है हालांकि टोटल प्रोहिबिशन नहीं कर पाये, टोटल प्रोहिबिशन की स्थिति में आज हम नहीं हैं। हमारी आमदनी कम हुई है इसकी वजह से यदि एक्साइज़ से जो आमदनी है यदि वह बिल्कुल ही कम हो जाय तो उसका असर स्टेट के एक्सचेकर पर पड़ेगा। इसलिए साफ बात है कि आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम टोटल प्रोहिबिशन कर दें। लेकिन हम धीरे धीरे यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि समाज में से इस बुराई को दूर कर सकें। इसलिए पार्शियल प्रोहिबिशन का कदम उठाया और उसके लिये इस बिल को सदन में रखने की आवश्यकता पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। जैसा कहा गया कि यू. पी. के एक जिले में टोटल प्रोहिबिशन का उपयोग किया गया उसी तरह राजस्थानके २५ जिले हैं उनमें से एक जिले में टोटल प्रोहिबिशन किया जाय अध्यक्ष महोदय, हम इस नीति को ठीक नहीं समझते हैं। एक जिले में करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है हमारे यहां पहले ही यह बुराई सारे प्रदेश में फैली हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग इस बुराई से बचे हुए हैं वे अपनी संतानों की खुशहाली के लिए सहयोग देंऔर जिन्होंने इस बुराई के कारण अपनी जिन्दगीमें बर्बादी देखी है उनके तजुर्बे का तकाजा है कि वे भविष्य में अपनी संतानों को इस बुराई से बचाने का प्रयत्न करें। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि इसको पास किया जाय क्योंकि इसको पास करने में भलाई है।

श्री अर्जुनदास—Sir, The Hon ble Minister did not tell us anything as to why he did not accept the suggestion of circulating this Bill for eliciting public opinion, or why he cannot introduce a consolidated law for the new Rajasthan. He said nothing at all, not a single word about it.

श्री अमृतलाल यादव—मेरे माननीय साथी ने अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि क्योंकि अजमेर पर, सुनेल पर आबू पर यह लागू नहीं हुआ है इसलिये ये क्षेत्र इसकी कब तक इन्तजारी करें। इस संबंध में मेरा यह जवाब है कि अच्छा काम करने के लिये कोई इन्तजारी करने का सवाल नहीं आता है। आज यह देखा जाय कि आबू में टोटल प्रोहिबिशन है। यदि हम चाहते तो टोटल प्रोहिबिशन को खत्म कर सकते थे, और आबू को वेट कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिये नहीं किया कि हम उसको वाजिब मानते थे। अजमेर में लागू नहीं हुआ है तो घबराइये नहीं, हम वहां पर जल्दी ही इसे लागू करेंगे। एक अच्छी बात को रोकने का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य का ओब्जेक्शन था उसको मैने साफ कर दिया।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय,...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दे रहे हैं अपने मोशन का।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में मोशन रखा है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय। मैं समझता था कि प्रोहिबिशन के पुजारी इस बात को अवश्य मानेंगे। पब्लिक ओपीनियन से मेजोरिटी की राय मालुम हो जाती और सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के जवाब ने तो मुझे और उलझन में डाल दिया...

श्री नेदपाल त्यागी—आगे ही उलझे हुए हैं।

श्री मानसिंह महार—(जारी) उन्होंने जो जवाब दिया है उसका मैं विश्लेषण करूंगा। मैंने छोटासा सुझाव दिया था कि राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोहिबिशन किया जाय और फिर नतीजा देखा जाय। उसका जवाब मिलता है कि सरकार की यह नीति नहीं है। सरकार यह समझती है कि एक इलाके में प्रोहिबिशन कभी कामयाब नहीं होगा इसलिये करना नही चाहती और उन्होंने इसको इतना लम्बा डाला कि सारे भारतवर्ष में होगा तो राजस्थान में भी करेंगे। वे कहते हैं कि प्रान्त में करना वाजिब नहीं है सारे देश में होना चाहिये। इसमें मैं समझता हूं कि उनकी मंशा नहीं है। जब आबू, अजमेर की बात आई तब कहा कि यदि हम चाहते तो आबू को वेट कर देते। शायद वे पानी बरसाते या किसी तरह से वेट कर सकते थे आबू को। थोड़ी देर पहले तो आपका यह सिद्धांत था कि एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोहिबिशन करना ठीक नहीं। अब वह सिद्धांत आबू के मामले में बलाये ताक रख दिया। आबू वेट रहे या नहीं लेकिन राजस्थान में जयपुर या भीलवाड़ा को ड्राइ करके तजुर्बा हासिल कर लें तो वह भी नावाजिब होता है।

आबू जो ड्राइ है उसको वेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसको मोरारजी भाई ने शुरू किया था। इसके लिए मैं उनकी कद्र करता हूं और मैं कहता हूं कि जो प्रोहीबिशन की पोलिसी अपनाई है वह बहुत अच्छी पोलिसी है। हमको उस पोलिसी को अपनाना है, हमें उस पोलिसी को अपनाने में पैसे की तरफ नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात जो मन्त्रीजी ने इल्लिसिट डिस्टिलेशन के बारे में कही, उससे मुझे अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी जो डिस्टिलेरीज हैं, उनके अन्दर से जो शराब बन कर आती है, यह तन्दुरस्ती के लिए अच्छी होती है बमुकाबले उसके जो कि गांवों में बनाई जाती है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने शायद देहातों में बनाई गई शराब नहीं देखी होगी। मैं गांव में रहता हूं और मुझे इसके बारे में अच्छी तरह मालूम है। शायद मन्त्रीजी ने धतूरे का बीज डाली हुई शराब पीली होगी, इसीलिए वे कहते हैं कि वह शराब हानिकर होती। मैं आपको बताऊं कि वह शराब अधिक हानिकर होती है जो कि स्प्रिट से बनाई जाती है। यदि यहां पर डाक्टर साहब होते तो मैं उनसे कहला सकता था कि यह शराब तन्दुरस्ती के लिए अधिक हानिकर होती है बमुकाबले उस शराब के जो गांवों बनाई जाती है......

श्री अमृतलाल यादव—आपने तो कहा था कि आपको तजुर्बा नहीं है।

श्री **मानसिंह महार**—श्रीमान्, मैं गांव में रहता हूं इसलिए मुझे गांव का तजुर्बा है। मैं जयपुर की सिविल लाइन्स में नहीं रहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो गांव में शराब बनाई जाती है वह हमेशा तन्दुरुस्ती के लिए उस शराब से अच्छी होती है जो कि स्प्रिट से बनाई हुई होती है। यदि सिर्फ तन्दुरुस्ती के लिहाज से शराब बन्दी करते हैं और आप आमदनी के लिए इसको रोकना चाहते हैं तो आप दुकानों को बन्द कर दीजिये और जो शराब गांवों से बन कर आती है उसको बेचें और उस पर आप हेवी टैक्स लगा दीजिये तो इससे आपको, एक्साइज़ डिपार्टमेंट को ज्यादा इन्कम होगी और जनता की तन्दुरुस्ती को भी लाभ होगा। मैं माननीय मन्त्री जी के शब्दों को दुहरा कर ही सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस पर पब्लिक ओपीनियन ली जाय और जनता को परेशान नहीं किया जाय। आपने, शराब को, जो यहां बनती है, उसको अच्छा बताया। मैं उसका विश्लेषण करूं तो आपको पता लगेगा कि वह शराब तन्दुरुस्ती के लिए अधिक हानिकर है। अगर शहर के ठेके के ठर्रे की एक बोतल कोई आदमी पी जाय, और वह शराब १०, १५ दिन लगातार पी ले, तो उसके दिमाग की नस फट जायगी। ऐसे केसेज़ कई हुए हैं .....

श्री **अमृतलाल यादव**—गांव की शराब इकट्ठी पीने से नस नहीं फटेगी ?

श्री **मानसिंह महार**—जो गांव की शराब होती है वह शहर के ठेके के ठर्रे के बराबर पी जाती है तो कभी भी दिमाग की नस नहीं फटेगी।

श्री **अमृतलाल यादव**—शायद माननीय सदस्य स्वयं का अनुभव बता रहे हैं ?

श्री **मानसिंह महार**—मुझे अनुभव होता तो जयपुर के गांव का मुझे २० वर्ष तक अख्तियार था, उस वक्त मैं भट्टी से शराब निकालता। लेकिन मैंने कभी नहीं निकाली, इसलिए मुझ पर यह आरोप नहीं लग सकता।

श्री अध्यक्ष —And now too old for it.

श्री **मानसिंह महार**—मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने भट्टी से शराब कभी नहीं निकाली है लेकिन जनता......

श्री **अमृतलाल यादव**—निकालते हुए देखा है।

श्री **मानसिंह महार**—अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस शराब की नीति से आप जनता को परेशान करना चाहते हैं। इस परेशान करने के दो लक्ष्य हैं : एक तो यह है कि जनता की तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुंचता है और दूसरे, सरकार की आमदनी होती है। मैं कहता हूँ कि आप भट्टी से बनने वाली शराब पर टैक्स लगा दीजिये। इससे एक तरफ तो इन्सपेक्टर आदि की इन्कम खत्म

[श्री मानसिंह महार]

हो जायगी, नाजायज इन्कम खत्म हो जायगी और सरकार के बजट के लिए पैसा आने लगेगा। आप प्रत्येक भट्टी पर २०—३० रुपया टैक्स लगा दीजिए, वे सब लोग आपको इतने रुपये दे देंगे। अभी एक लाख, डेढ़ लाख रुपये की तरफ अजमेर से आने वाले एक सदस्य ने चर्चा की थी, मैंने उस तरफ इशारा नहीं दिया था लेकिन मैंने देखा कि माननीय मन्त्रीजी कुछ घबराये हुए थे इस बात से और उन्होंने कहा कि यह बात पहले सदन में डिस्कस हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर सदन में कोई चीज आ चुकी है तो उससे मन्त्रीजी बरी हो गये। वह आरोप उन पर मौजूद है। कोई भी सफेद को काला नहीं कह सकता, या काले को कोई सफेद नहीं कह सकता। अगर आपसे कोई गलत बात हो गई है तो उसको मान लेना चाहिए। अगर एक दफा डिस्कस हो चुका है तो अब डिस्कस नहीं हो सकता, यह गलत बात है। (घन्टी) यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अभी मैंने कहा था कि इस ऑफेन्स को नान बेलेबल क्यों बनाया जा रहा है? इसकी जो उन्होंने व्याख्या की उससे मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने बताया कि नोन बेलेबल ओफेन्स होने से मुकदमे जल्दी से खत्म होंगे। ऐसे केसेज़ में बेल नहीं ली जाती है और अगर इसके लिए दरख्वास्त दी जाती है तो कहा जाता है कि साहब, यह बाहर गवाहों को बदल देगा, क्योंकि यह इन्फ्लुएन्शिल आदमी है, इसलिये गवाहों को इन्फ्युएन्स करेगा। यह बात जब मैंने सुनी तो मैं चकित रह गया। हालांकि मैं वकील नहीं हूँ पर मुझे वकालत से दिलचस्पी रही है और मैं कभी कभी मुकदमे सुनने चला जाता हूं। नोन बेलेबल ओफेन्स होने से यह बात होगी कि बात नहीं सुनी जायगी, परेशान करके उसको सजा दे दी जायगी। इस लक्ष्य से यह बात न्याय के अन्दर रखी गई है कि जमानत न ली जाय और वह जेल में पड़ा पड़ा सड़ा करे। मैंने जो बात कही थी कि इस ओफेन्स को नोन बेलेबल क्यों बनाया जाय, उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि इस ओफेन्स को नोन बेलेबल बनाने का कारण यह है कि इस कानून को नोन बेलेबल बनाकर हम उनको जेल में डाले रखें और उन लोगों को परेशान करें। यह एक गलत परम्परा है। आज हमको यह देखना है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा सबको हो। इससे अधिक दुःख मुझे तब हुआ जब मैंने प्रस्ताव रखा था, वह इस नीयत से रखा था कि राजस्थान के अन्दर जल्दी से जल्दी टोटल प्रोहिबिशन आये। वह टोटल प्रोहीबिशन तब आ सकता था जब कि पब्लिक ओपीनियन मांगी जाती और पब्लिक ओपीनियन यह होती कि पूर्ण शराब-बन्दी हो। जब पब्लिक ओपीनियन पूर्ण शराबबन्दी के हक में होगी तो सरकार उसके लिए मजबूर होती। लेकिन मन्त्रीजी ने दूसरा अर्थ निकाला, उन्होंने अपने विचार से यह समझा कि मैं यह चाहता हूँ कि यह जो शराब खोरी को रोकने के लिए पाबन्दी लगाई जाती है, उसको रखकर मैं उसे प्रोत्साहन देना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं शराब खोरी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रोत्साहन न मिले। आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को यह प्रोत्साहन नहीं देना चाहता जो गरीब लोगों को परेशान करके अधिक पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, इस प्रकार की जिनकी भावना है मैं उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूं।

[श्री मानसिंह महार]

आखिरी बात तो मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस छोटी सी बात के लिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि अब मुझे कॉन्फीडेन्स हो गया है कि यह मेरी बात मन्जूर कर ली जायगी। यह बात ऐसी आ गई है इसलिए मैं कहता हूं कि मैं टोटल प्रोहीबिशन में बिलीव करता हूं। वे भी कहते हैं कि प्रोहीबिशन होना चाहिये। अब उनको मानना चाहिये कि यह पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय और अगर पब्लिक ओपीनियन टोटल प्रोहीबिशन के लिए आए तो टोटल प्रोहीबिशन लागू हो जायगा। यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह न चाहता हो कि साहब प्रोहीबिशन न किया जाय। मैं समझता हूं कि मुझे सदन इस पर सपोर्ट करेगा और मेरा प्रस्ताव सर्वसम्मति से तय हो जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूं कि जो भी मैंने निवेदन किया, जो कुछ भी मैंने कहा, उसका कहीं उन्होंने आधा समझा, कहीं पौन समझा, इसलिए उन्होंने वैसा ही जवाब दिया ऐसी बात नहीं है। मैं उनके जवाब में ज्यादा निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन तो बहुत करना चाहता था। उन्होंने जवाब बहुत लम्बा-चौड़ा दिया है और उस मामले को बड़ा गोलमाल बना दिया है। मैं अगर उसका जवाब दूं तो एक घंटे तक बोल सकता हूं।

(हंसी)

लेकिन मैं सदन का समय अधिक नहीं लूंगा। अब मैं आखिरी बात निवेदन करूंगा और वह यह है कि एक बात मैंने कही थी और उसके जवाब में मन्त्री जी ने कहा था कि टोटल प्रोहीबिशन इम्पोज़ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार यदि यह कहती है कि शराबबन्दी होनी चाहिए लेकिन शराबबन्दी, मशीनरी का सबसे बड़ा ऑफिसर यदि शराबी को रखा जाता है और उस पर मन्त्रीजी कहते हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है तो मैं कहने को तैयार हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो सरकार ऐसे ऑफिसर को शराब बन्दी महकमे का सबसे बड़ा अफसर मानना चाहती है, वह सरकार कभी भी शराब बन्दी में कामयाब नहीं हो सकती। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं था कि मामला इतना बढ़ जायगा, अन्यथा मैं कुछ चिट्ठियों के फोटोज़ सदन के सामने पेश करता और अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा देंगे तो मैं परसों सदन में पेश कर दूंगा। एक्साइज़ डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर ने, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने चिट्ठियां लिखी हैं कि मेरे यहां पर एक बोतल भिजवा देना और पैसे बाद में भिजवा देंगे (हंसी) ऐसे पत्रों की फोटो कॉपीज़ मैं सदन के सामने रख दूंगा। मुझे यह मालूम नहीं था कि बात यहां तक आयेगी, नहीं तो मैं वे पत्र लेता आता। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यदि एक्साइज़ महकमें में ऐसे ऑफिसर रखें तो इस कानून को आप सख्त से सख्त शराबबन्दी के लिए कर सकते हैं, आप यहां इल्लिसिट डिस्टीलेशन रख सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कभी नहीं होगा।

(घंटी)

Page No.40

[श्री मानसिंह महार]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को सदन के समक्ष रखकर मैं प्रार्थना करूंगा कि चाहे वे टोटल प्रोहीबिशन में बिलीव करें या न करें, यदि शराबबन्दी से जरा भी विश्वास रखते हैं तो अगर वे मेरा सुझाव मानेंगे तो तीन चार महीने में टोटल प्रोहीबिशन हो जायगा...

श्री अध्यक्ष—बिफोर जनरल इलैक्शन हो जायगा।

श्री मानसिंह महार—इसलिए मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव को मन्जूर करें...

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मानसिंहजी महार ने रखा है कि राजस्थान एक्साइज़ (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल को सार्वजनिक मत जानने के लिए प्रकाशित किया जाय, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया। आपकी अंकेलों की आवाज आई ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जुखाम लग रहा है।

श्री अध्यक्ष—किनको, आपको ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—नहीं साहब उनको।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एक्साइज (सेकिन्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान एग्रीकल्चरल लोन्स बिल, १९५६
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा से) यह कल लेंगे कि आज ही ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—There was a request from Mr. Vyas-

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर लोन्स बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री वेदपाल त्यागी—आज तो सेटर्डे है साहब, वैसे ही टाइम हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—Let the buses come here. By that time......

(विराम)

It is a formal bill.

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय,...

श्री वेदपाल त्यागी—रहने दो, इसी के बाद खत्म हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—नहीं मूव करना चाहते ?

श्री मानसिंह महार—नहीं साहब, मैं तो मूव करूंगा । राजस्थान एग्रीकल्चर लोन्स बिल, १९५६ को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है ।

माननीय अध्यक्ष मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और तकावी में क्या जनमत लिया जाय और क्या नहीं लिया जाय, ऐसा कहा जाय तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कृषकों को किस प्रकार से ऋण दिया जाय और किस प्रकार से उसकी ऋणिता को दूर किया जाय, किस प्रकार से लोन्स देकर उनको अपने खेतों को तैयार करने का, अपने खेती के साधनों में उन्नति करने का मौका दिया जाय । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इसमें एक आध छोटी मोटी बात का बिल रख कर कह दिया जाय कि इसे पास कर दीजिये, यह ठीक नहीं । इसके लिए मैं वही दलील जो पहले बिल के बारे में दे चुका हूं दूंगा, कि यह राजस्थान के हर कोने पर लागू होगा, इसमें क्या और क्या नहीं है व क्या और होना चाहिए, इसकी ओर मैं बिल्कुल इशारा नहीं करूंगा । माननीय अध्यक्ष, मैं बहुत संक्षेप में इस बात पर ही बोलूंगा कि इसे जनमत के लिये क्यों भेजा जाना चाहिए ।

[श्री मानसिंह महार]

आपने जो इसमें रखा है वह बहुत अच्छा रखा है, पर इसको जनमत के लिये इसलिए भेजा जाय कि लोन्स वगैरह जो कृषकों को दिये जाते हैं उनमें गांव वालों को क्या क्या मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलातों को जान कर, उनकी मुश्किलातों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस कानून को जनमत के लिए भेजा जाय। अगर इसको जनमत के लिए भेजा गया तो हर गांव से, राजस्थान के हर कोने मे, पटवारियों और आम लोगों से आपके पास राय आयेगी कि हमको लोन लेने में यह यह मुश्किलात आती हैं। उनकी जो राय आपके पास आये, उस राय पर, उनकी मुश्किलात पर विचार करके आप हमको ऐसा नया कानून दीजिये कि उससे राजस्थान का भला हो सके। ऐसा करने के बजाय आज जल्दबाजी में कह कर पास करा दें कि साहब यह तो तकावी का है इसको पास कर दिया जाय तो यह राजस्थान के लिये कोई लाभप्रद नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कृषकों की भलाई के लिए इस सदन के प्रत्येक सदस्य से यही प्रार्थना करूंगा कि इसे जनमत के लिए भेजे जाने के मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

मैं इस बिल की एक भी धारा को रेफर नहीं करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं तो यही कहता हूँ कि यह जनरल बात है कि कृषकों की भलाई के लिये अगर इसे करते हैं तो जनमत लीजिये, उनसे पूछिये कि किस कदर आपको लोन्स दिए जायं, क्या क्या डिफिकल्टीज़ आपको लोन्स लेने में आती हैं। मगर आप यह सारा तो करते नहीं और तकावी के तरीके को रेगुलेराइज़ कराना चाहते हैं, इसके लिए कानून बना दिया जाय और लाकर सदन में रख दिया और यह बताना चाहते हैं कि हमने तो कृषकों के हित के लिए लोन्स का कानून भी पास कर दिया, इससे किसानों का यह भला होगा, वह भला होगा, इत्यादि, इत्यादि। आप कहते हैं :

"The Rajasthan Taccavi Rules, 1950, have no statutory basis. The need for legislation on the subject is, therefore, fairly obvious."

माननीय अध्यक्ष, इसमें जो यह है :

"It is fairly obvious" It is not most urgent. It is only fairly obvious

तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें यह भी होता। "It is most urgent." ऐसी भी होती तो अंग्रेजी की फ्रेज़ियोलोजी में यह साफ है कि :-

[श्री मानसिंह महार]

"It is only fairly obious". So we can defer the matter for another two or three months.

तो बड़ी आसानी से हो सकता है अध्यक्ष महोदय, यह। अभी तो मैं अंग्रेजी में चला जाता पर न जा कर यह निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को लोन्स,तकावी वगैरह के जो कानून हैं उनका एकीकरण कीजिये। आज सरकार कानून वगैरह बनाती है उसमें मुगालता सा रह जाता है, इसका कारण यह है अध्यक्ष महोदय, कि एक कानून कभी बना दिया जाता है और उसी मसले को छूता हुआ दूसरा कानून दूसरी तारीख को बना दिया जाता है और तीसरा कानून तीसरी तारीख को बना दिया जाता है, इससे बड़ा मुगालता हो जाता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जितनी प्रकार के लोन्स हैं, उनका सबका इनमें सम्मिश्रण कीजिये, उन लोगों से पूछिये कि उनकी डिफिकल्टीज़ क्या क्या हैं ?

आप अपनी डिफिकल्टीज़ को तो कानून बना कर दूर कर देना चाहते हैं और कृषकों को जो बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज़ लोन्स लेने में आती हैं, जो जो मुश्किलात उनको तकावी लेने में आती हैं उनको दूर करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपको मालूम होना चाहिये कि आपकी तकावी लेने के लिये काश्तकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। वह तहसील में लोन लेने जाता है तो १०० रुपयों के पीछे २० रुपये तो उससे वहां तहसील में ही छीन लिये जाते हैं। जिस प्रकार बनिये से कर्ज लेने पर वह १० रुपया सैंकड़ा पहले ही काट लेता है उसी प्रकार १० रुपया सैंकड़ा तो उस किसान से पहले ही तहसील में छीन लिया जाता है। आप ब्याज कम जरूर लेते हैं पर उस तकावी को हासिल करने में किसान को कितना रूपया खर्च करना पड़ता है, इस ओर भी आपको देखना चाहिये। किसी मन्त्री की सिफारिश हो या कोई एम० एल० ए० साथ में हो तो वह किसान इस प्रकार के खर्च से बच जाता है परन्तु उन मन्त्री महोदय को या उन एम० एल० ए० महोदय को ले जाने में भी सवारी का किराया देना पड़ता है और इस तरह उसे खर्च करना ही पड़ता है। मंत्री तक पहुँचने हेतु उसको सवारी के लिये कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। मेरे पास इसकी मिसाल मौजूद है कि एक कूए पर खेत में, जो खड़े खड़े जल गये, मगर उसको तकावी का प्रोवीजन नहीं हो पाया। तकावी देने का प्रोसेस इतना ढीला है कि वह बेचारा आज तकावी नहीं पा सका। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि पहले ५० रु० खर्च करने को हों तब तकावी मिल सकती है और मुझे तकावी इसलिये नहीं मिली कि मेरे पास पैसा खर्च करने के लिये नहीं था। एक गरीब आदमी को तकावी नहीं मिली। यह आपके सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। आप सिद्धांत की बात से यह मत समझिये कि मैं कोई ऐसी बात कहना चाहता हूं जिससे आप यह समझें कि मैं आपके विरूद्ध विरोध करने के लिये ही कहता हूँ। यह तो प्रत्येक गांव के लिये हित की बात है और यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार के कानून बनाये जावें। इससे पहले गांव वालों की राय ली जावे। हम लोगों में से अधिक लोग जो यहां पर आये हैं कस्बों और शहरों में रहते हैं और मैं

[श्री मानसिंह मद्दार]

यह कहूँगा कि आज तो या आयन्दा लड़ाई आने वाली है कि गांव वाले यह कहने वाले हैं कि शहरों और कस्बों में रहने वाले हमारा सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। शहरों में आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं लेकिन गांवों में क्या मुश्किलात होती है, यह आपको मालूम नहीं। इसलिये लोन लेने के लिये किस प्रकार के तरीके होने चाहिये, किसको लोन दिया जाना चाहिये, इन सारी बातों के लिये इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जावे और गांव वालों की राय आने पर यह माना जावे। अगर आप उनकी राय आने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा। यदि इसको जल्दबाजी में पास करेंगे तो थोड़े दिनों बाद आपको एक एमेन्डमेंट और फिर दूसरा एमेन्डमेंट और तीसरा एमेन्डमेंट लाना होगा और अगर एक बार ही इसको संजीदगी से पास करेंगे तो वह दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को माननीय मंत्रीजी मान लेंगे तो उचित होगा और पब्लिक ओपीनियन आने के बाद ही हम फिर यह कानन बनावेंगे तो किसानों को लोन लेने में बहुत फायदा पहुँचेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, हमारे माननीय मित्र ने जो सदन के समक्ष इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। एग्रीकल्चरल लोन एक्ट और लैन्ड इम्पूवमेंट एक्ट जो सेन्टर के लेजिस्लेशन थे वे हमारे यहां पर लागू नहीं हैं। तकावी रूल्स हमारे यहां हैं और वे भी किसी भी एक्ट पर आधारित नहीं हैं। वे भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिये बने थे और उनका अमल हो रहा है। जब तक कोई मेन एक्ट (Main Act) नहीं बने तब तक रूल्स किस ओथोरिटी से डिराइव हों, इसलिए उनको उसको कानूनी रूप देना जरूरी है ताकि तकावी लोन जो अधूरे हैं उनको ठीक किया जावे। अधूरों को चालू रखा जावे या उनको कानून की अच्छी शक्ल दी जावे, यह देखना है। गलत चीज को चालू रखना, कहां तक वाजिब है ? अगर मेरे लायक दोस्त यह चाहते हैं कि गलत चीज को चालू रखा जावे तो मैं यह कहूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को अपने पास रखें क्योंकि इससे पब्लिक को किसी प्रकार का फायदा होता नहीं है। अगर पब्लिक को फायदा होता है तो रूल्स जो कानून के मातहत हैं और कानून के तहत में जो अधिकार हैं उसके मातहत दिया जावे। कानूनी प्रोविजन करें कि किस किस तरह से किस किस बात के लिये लोन दिया जा सकता है। यह सब बातें रूल्स में आ जावेंगी और रूल्स बनाने का अधिकार इसकी तहत में है। जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वे देखी जा सकती हैं। इससे तो काम की डिले होगी और कोई फायदा नहीं होगा, काश्तकारों को नुकसान होगा और जो गलत तरीका चला आ रहा है वह उसी तरह से गलत चलता रहेगा। आज एग्रीकलचरल लोन के एक्ट के जरिये हम यह अधिकार देते हैं कि अपने फन्ड में से किन किन कार्यों के लिये ऋण दे सकते हैं और किस तरह दिया जा सकता है। वे इस एग्रीकल्चर बिल से मिलते हैं, जो बहुत जरूरी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। जितनी परेशानियें आती हैं उनके लिये वक्त वक्त पर रूल्स बनते रहते हैं और समय २ पर बदलते रहेंगे। इसके लिये कि किस किस को एग्रीकल्चर माना जावे

Page No.45

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

और किस किस को लोन दिया जावे, यह सब जो हैं बहुत जरुरी हैं। इसलिए मैं इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है मगर उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं गलत चीज को चालू रखना चाहता हूं इसलिये कुछ बोलना जरुरी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री मानसिंह महार—आपने यह आरोप लगाया कि गलत परम्पराओं को डाल रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि गलत परम्पराएं तो आप डाल रहे हैं। वर्षों में रुल्स बने और गजट में नहीं निकले। अगर मैं इस सम्बन्ध में कुछ गलती भी कर लूं तो मैं समझता हूं कि सरकार तो ऐसी गलतियें करने की आदी है और मैं इस गलती को एक-दो महीने के लिये चालू रखने के लिये निवेदन करुं तो कोई अहित नहीं होगा। अगर दो महीने पब्लिक ओपीनियन के लिये लग जावें और आप उसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दें तो कोई गलत नहीं होगा। जो आदमी गलती करने का आदि है उसके लिये क्या...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—आप भी उसके आदी हो जावेंगे, अगर ऐसी गलती करेंगे।

श्री मानसिंह महार—आपने अजमेर में बहुत गलतियां की हैं, इसके अलावा मैंने आपको अर्ज नहीं किया है। आपने कई गलतियें की हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल लोन्स बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

विधेयक को विचारार्थ लिया जावे। खण्ड २ व ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीगल्चरल लोन्स बिल, १६५६ के खंड २ और ३ पारित किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बने

(विराम)

खण्ड ४, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह— माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

उपखण्ड (१) और (२) के बाद में उपखण्ड (३) निम्न प्रकार से जोड़ा जावे :

"(3) to any person engaged in cattle breeding for a dwelling house for his own occupation or a cattle shed or any other work which adds materially to his occupation;"

मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूँ। इस विधेयक को देखने से यह अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि जहां तक काश्तकारों का प्रश्न है उनको कर्जा लेने के लिये सुविधा दी जावे। सरकार से जो कर्जा मिले वह काश्तकारों को मिले और उसके अलावा और भी दूसरों को मिले, इस प्रकार का प्रोविजन इसमें मौजूद है। दूसरे प्रकार के कौन से लोग होंगे उनका जिक्र हमने अभी जो क्लॉज़ पास किया है उसमें है। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक में एग्रीकल्चरल लोन की तहत में काश्त करनेवाले आदमी ही नहीं बल्कि उसके साथ में केटल ब्रीडिंग करने वाले आदमी भी शामिल हों। कर्जे के लिए किस प्रकार के प्रावधान हैं उनको आप इस क्लॉज़ ४ में देखिये। केवल उपखन्ड (१) व (२) में किस प्रकार से किसको कर्जा दिया जावे इस मुतल्लिक प्रोविजन हैं:

" Subject to such rules as may be made under section 11, loans may be granted under this Act, by such officer as may, from time to time, be empowered in this behalf by the State Government (1) to any person having a right to make an improvement or, with his consent, to any other person, for the purpose of making such improvement; and" तो पहले प्रकार के वे व्यक्ति होंगे जिनको Improvements का अधिकार है। एक सब क्लॉज़ यह हुआ और दूसरा सब क्लॉज़ इस प्रकार है:

[श्री जवानसिंह]

"to land-holders and tenants of land—(a) for the purchase of seed, manure, etc. etc."

तो आप अब यहां पर देखिये कि केवल उन्हीं आदमियों को जो कि इम्प्रूवमेन्ट अपनी जमीन में कर सकते हैं उन्हीं को कर्जा लेने के मामले में सुविधा दी है और उसी प्रकार के वे आदमी हैं जो या तो सीड मैन्योर, फोडर खरीदने के लिए काश्तकार या तो लैण्ड होल्डर्स हैं वही कर्जा ले सकते हैं, उन्हीं को कर्जा दिया जा सकता है। अब आप एग्रीकल्चरिस्ट्स की डेफिनिशन को देखिये कि वहां पर केवल कैटल ब्रीडिंग करने वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन यहां टीनेन्ट्स की डेफिनिशन में ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहां पर यह एक कमी रह जाती है कि कैटल ब्रीडर्स के लिए कोई प्रोवीज़न नहीं है कि वह सरकार से किसी प्रकार का कर्जा पा सके। मैं मानता हूँ कि सरकार का यह उद्देश्य है कि कैटल ब्रीडर्स को भी यह सुविधा दी जाय। लेकिन हो सकता है कि भूल-चूक से यह चीज रह गई हो। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार इसको देखे कि यह प्रोवीजन जो एक आवश्यक प्रोवीजन है उसको इसमें क्यों न एड किया जाय? मैं साथ साथ टीनेन्सी एक्ट के अध्याय ६ की तरफ भी इशारा जरूर करूंगा। उसमें जहां तक इम्प्रूवमेन्ट करने का सवाल है उस मामले को तय किया गया है। उसमें एक धारा है ६५, जिसके द्वारा स्टेट गवर्नमेन्ट को इम्प्रूवमेन्ट करने का अधिकार है। धारा ६६ में टीनेन्ट को अधिकार है और धारा ६७ के अन्दर लैण्ड होल्डर्स को इम्प्रूव करने का अधिकार है। इसके लिए किसी और अन्य व्यक्ति को लैण्ड के इम्प्रूव करने का अधिकार नहीं है।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो फिर हाउस को एडजार्न किया जाय।

श्री तनसिंह—वैसे बिज़नेस तो बाद में भी हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—अगर मेम्बर्स इन्टरेस्ट नहीं लेते हैं तो एडजोर्न ही किया जाय।

श्री मानसिंह महार—हां साहब, एडजोर्न कर दिया जाय।

श्री तनसिंह—साहब वैसे भी आज सेटर्डे है और आज के भी दो बज चुके हैं। वैसे भी सटर्डे को हाउस नहीं होता है और आज एक्सेप्शन है।

श्री अध्यक्ष—(मन्त्री महोदयों की ओर संकेत करते हुए) तो आप लोग कोरम क्यों नहीं रखते।

रावत श्री शम्भुसिंह—साहब, मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं थोडी सी लैंग्वेज चेन्ज कर देता हूं, मेरे ख्याल से फिर माननीय सदस्य का पर्पज़ सर्व हो जायेगा।

श्री जवानसिंह—अगर लैंग्वेज़ का फर्क है, तो फिर आप उसको डेफर करिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि 'एग्रीकल्चरिस्ट' की डैफिनिशन में 'केटल ब्रीडर्स' भी आ जाते हैं। 'केटल ब्रीडर्स' से मतलब है वह आदमी जो कि 'केटल ब्रीडिंग' का ऑकुपेशन करते हैं। तो जो कैटल ब्रीडिंग का ऑकुपेशन करते हैं वह भी एग्रीकल्चरिस्ट है तो वैसे क्लॉज़ ४ में सबक्लॉज़ (२) का पार्ट (सी) है: "(c) for any other purpose connected with agricultural objects including the purchase of rights in land."

इसी के आगे यह हो सकता है:

"or for any other work connected with cattle breeding which adds materially to the occupation of cattle breeding."

मेरे ख्याल से इससे सब ठीक हो जायेगा। केटल ब्रीडर्स के आकुपेशन में जो कुछ भी मवेशियों के लिए, अच्छी नसल करने के लिए किया जायगा उसको लोन दिया जायेगा। That will cover the whole thing.

श्री जवानसिंह—How will this part read then ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—"(c) for any other purpose connected with agricultural objects including the purchase of rights in land, or for any other work connected wi h cattle breeding which materially adds to the occupation of cattle breeding."

कोई डेरी फार्म खोलता है या उसमें कोई एडीशन करना चाहता है तो इसमें सब चीज आ जायेगी और उसको इन पर्पज़ेज के लिए लोन मिल जायेंगे।

श्री जवानसिंह—जहां तक खुद की बिल्डिंग का सवाल है वह तो कवर नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर कैटल ब्रीडिंग फार्म के लिए लोन लेता है तो इसमें तो सारी चीजें आती हैं।

श्री जवानसिंह—नहीं, मेरा मतलब खुद के लिए है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं नहीं, खुद के लिये तो हो सकता है। अगर कोई एक कैटल रखता है और फिर वह लोन मांगता है तो ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न यह है कि जो कैटल ब्रीडिंग का सवाल है उसी को देने का सवाल है। सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो मैं इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट को इसमें रखना चाहता हूं; यानि आपने जो डेफीनिशन दी है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिये।

श्री जवानसिंह—तो फिर मैं अपना संशोधन विद्ड्रा करूं। अगर सदन मुझे इजाजत दे तो मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा की ओर संकेत करते हुए) तो आप अपना संशोधन पेश कीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"or for any other work connected with cattle breeding which adds materially to tne cccupation of cattle breeding."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ के अन्दर श्री बृजसुन्दर जी शर्मा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा रखा गया संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ५ से ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११ स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ५, ६, ७, ८, ९, १० और ११ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १, पिएम्बल व टाइटल

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ और उसकी भूमि का भाग यानि प्रिएम्बल और टाइटल को विधेयक का अंगभूत स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, विधेयक का भूमि-भाग और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि राजस्थान एग्रीकचल्र लोन्स बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल लोन्स बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १६५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) एमेंडमेंट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(श्री मानसिंह महार के बोलने के लिए खडे होने पर)

श्री जवानसिंह—On a point of order, Sir, the list which has been circulated is very clear enough that the Bills which were pending yesterday will be taken up first and the Bill...

श्री अध्यक्ष— All right. If the House is not in a mood. I will like to keep the wishes of the Members.

So we adjourn day-after-tomorrow at 11. 00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २ बजे मध्यान्ह में सोमवार, दिनांक १०—१२—५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, ८ दिसम्बर, १६५६।

शुद्धि—पत्र

कार्य-विवरण दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४३४	६	Indian Mankets in	India markets in
४३७	११	the dignity of	The dignity of
४३८	१०	श्री अर्जुनदास	श्री अर्जनदास
४४२	तृतीय पैरा २	मजबूत मिशीनरी	मजबूत मशीनरी
४४५	१६ व ३२	एन्टीस्मेगिलग	एन्टी स्मगिलग
४४७	१५	आपको करना चाहता	आपको कहना चाहता
४४९	२४	which is prevalant	which is prevalent
४५१	९	श्री अध्क्षक्ष	श्री अध्यक्ष
४५८	अन्त से दूसरी पंक्ति	मैं बदुत संक्षेप	मैं बहुत संक्षेप
४५९	,, ,,	ऐसी होती	ऐसी बात होता
४६७	११	क्लाज १, पिएम्बल	क्लॉज १, प्रिएम्बल